आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

फ़रवरी 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/-₹

कॉप 15

जैव विविधता संरक्षण

लक्ष्यों पर भारी पड़ती इन्सानी महत्वाकांक्षाएं





Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 08 फ़रवरी 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
जैव विविधता पर गहराता संकट : नैतिक व धार्मिक पक्ष
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
दुखों का अस्तित्व क्यों?
एस॰ अमीनुल हसन

सौंदर्य बोध 11
ख़ुद को बचाएं इस जाल से
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

मुख्य स्तंभ 15
जैव विविधता संरक्षण :
लक्षयों पर भारी पड़ती इन्सानी महत्वाकांक्षाएं
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 19
जैव विविधता पर मंडराते ख़तरे
अनिरुद्ध गौड़

समाधान 23
आंतरिक प्रयत्न, बेहतर परिणाम
डॉ॰ प्रदीप कुमार

कविता 26
क़ुदरत की आवाज़
तुराज़

समसामयिक 27
साइबर अपराध : सेंध हर जगह
संपादन प्रभाग

ज्वलंत 31
महिला अपराध : पुनरावृत्ति पर कैसे लगे विराम ?
जितेंद्र गौतम

सरोकार 35
त्रासदी से कम नहीं ठंड से मौतें
नईम अलहिन्दी

परिदृश्य 37
जर्मनी से क़तर तक फ़ीफ़ा की बदलती पहचान
औरिया मक़बूल जान

लघुकथा 39
दानी कौन?

कहानी 41
निवारण
घनश्याम रंजन

सेहत 44
सांसों का रखें ख़ास ख़याल
संपादन प्रभाग

करियर 46
मधुमक्खी पालन : बेरोज़गार हैं तो करें शुरुआत
संपादन प्रभाग

आख़िरी पन्ना 48
यात्रा, असीम जीवन की ओर...
मौलाना वहीदुद्दीन ख़ां

मूल प्रश्न



जैव विविधता पर गहराता संकट : नैतिक व धार्मिक पक्ष

शिब्ली अरसलान

कनाडा के मांट्रियल शहर में क़रीब दो सप्ताह चलने वाले जैव विविधता सम्मेलन (कॉप-15) ने दुनिया भर के सजग व संवेदनशील लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस सम्मेलन में भारत सहित 196 देशों के क़रीब 20 हज़ार प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और पर्यावरण विशेषज्ञ स्तर के लोग शामिल थे। सम्मेलन के समापन पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत धरती के 30 फ़ीसदी हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही विकासशील देशों को क़रीब 3 करोड़ डॉलर की सालाना मदद दी जायेगी। जिससे वो लुप्त होने का संकट झेल रहे जीवों की मदद के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त सम्मेलन के दौरान वार्ताकारों ने मानवीय गतिविधियों के कारण प्रकृति के चिन्ताजनक विध्वंस पर लगाम कसने के लिये कारगर उपायों पर भी चर्चा की।

जैव विविधता (Biodiversity) से आशय जीवधारियों (पौधे एवं पशु) की विविधता से है जो प्रत्येक क्षेत्र, देश, महाद्वीप अथवा विश्व स्तर पर होती है। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म जीवों से लेकर समस्त जीव जगत सम्मिलित है।

पृथ्वी पर विविध प्रकार का जीवन विकसित हुआ है जो मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता रहा है और आज भी कर रहा है। प्रकृति में अनेकानेक प्रकार के पादप एवं जीव-जन्तु हैं। ये पारिस्थितिकी तन्त्र (eco-system) के अनुरूप विकसित एवं विस्तारित हुए हैं और उनका जीवन चक्र क्रमिक रूप से चलता रहता है जब तक पर्यावरण अनुकूल रहता है। जैसे ही पर्यावरण में प्रतिकूलता आती है, पारिस्थितिक चक्र में अवरोध आने लगता है अथवा कुछ जीव विलुप्त हो जाते हैं तो सम्पूर्ण चक्र में बाधा आ जाती है जो पर्यावरण में असन्तुलन का कारण होती है और मानव सहित सम्पूर्ण जीव-जगत के लिए संकट का कारण बनती है । यही कारण है कि वर्तमान विश्व में अनेक जैव प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और अनेकों संकटग्रस्त हैं। इसी कारण आज जैव विविधता के प्रति विश्व सचेत और चिंतित है और अनेक विश्व संगठन तथा सरकारें इनके संरक्षण में प्रयत्नशील हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश के शब्दों से इस चिंता की गंभीरता झलकती है "हम प्रकृति की इस नाज़ुक बनावट का हिस्सा हैं – और हमें इसे स्वस्थ रखने की ज़रूरत है ताकि हम और भावी पीढ़ियां फल-फूल सकें।"

प्रकृति सदैव से सुंदर रही है, इस सौंदर्य में जैव विविधता की महती भूमिका होती है । वनों से आच्छादित प्रदेश, फूलों से लदी वाटिका, पर्वतीय एवं घाटी स्थल हों या समुद्र तटीय क्षेत्र, मरुस्थली प्रदेश हों या झील प्रदेश सभी का अपना सौन्दर्य वहां की जैव विविधता से है। जंगली जीवों से युक्त अभयारण, पक्षियों के क्षेत्र तथा विशेष पादपीय प्रदेश सभी को आकर्षित करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, अभयारण्य, विशेष जानवरों के स्थल जैसे टाईगर, हाथी, चीते, आदि के स्थल हों या सागरीय जीवों के क्षेत्र सभी का सौन्दर्य विशेष होता है। इसी कारण जैव विविधता से युक्त प्रदेश पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र होते हैं।

जैव विविधता पर वर्तमान में सर्वाधिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रतिवर्ष हज़ारों प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं।

इस पृथ्वी पर लगभग 20 लाख जैव प्रजातियों का अस्तित्व है और प्रत्येक जीव का पारिस्थितिकी तन्त्र (Ecosystem) में महत्व होता है।

वैश्विक स्तर पर जैव विविधता (Biodiversity) का संरक्षण एक चुनौती के रूप में सामने है। दुनियाभर में प्राकृतिक आवासों की क्षति, वन विनाश, खनिज कार्य, कृषि विकास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक महत्त्व की फ़सलों का उत्पादन, शिकार

तथा वन्य जीवों से जुड़े व्यापार आदि कारणों से जैव विविधता में कमी आ रही है। इस वजह से भी कई प्रजातियां ख़तरे में हैं।

जैव विविधता पर सबसे बड़ा ख़तरा वनों के विनाश से है। दक्षिण-पूर्व एशिया,जहां जैव विविधता पर संकट के बादल ज़्यादा हैं। यहां के देश आर्थिक रूप से भले ही पिछड़े हों परन्तु ये जैव विविधता में सम्पन्न रहे हैं। यहां किये गये कुछ अध्ययनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9-10 वर्षों में कई क्षेत्रों में शेष बचे 90 प्रतिशत वन समाप्त हो जाएंगे। सेटेलाइट से प्राप्त चित्रों के अनुसार फिलीपाइंस में लगभग 90 प्रतिशत वन समाप्त हो चुके हैं। इस वन विनाश से स्तनपायी जीव (मेमल्स) सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। काग़ज़, रबर तथा पॉम ऑयल उद्योग द्वारा यहां सर्वाधिक वन साफ़ किये जा रहे हैं। दुनिया की ज़रूरत का 86 प्रतिशत पॉम-ऑयल तथा 87 प्रतिशत रबर यहीं से आता है। पॉम-ऑयल के खाद्य तेल व बायोडीजल के सस्ते विकल्प के रूप में आने से यहां अधिक से अधिक पॉम के पेड़ जंगल काटकर लगाये जा रहे हैं।



वन विनाश के अलावा बड़ी संख्या में बनने वाले बांधों से भी जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो रहे हैं। एक बड़े बांध के निर्माण से हज़ारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है और वहां स्थित पादप, पशु-पक्षी तथा अन्य जीव-जन्तुओं का विनाश हो जाता है। दुनिया भर में बांधों के जलाशयों में पानी रुकने से प्रवासी मछलियों की संख्या 70 प्रतिशत तक घटने की सम्भावना बताई जा रही है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने नम भूमियों (वेट लैण्ड्स) में सर्वाधिक जैव विविधता का आकलन किया है, परन्तु नम भूमियों में भी वन विनाश, कृषि विस्तार एवं कुछ अन्य कारणों से 80 प्रतिशत नम भूमि समाप्त हो रही है। इनकी समाप्ति या कमी से लगभग 80 प्रतिशत प्रवासी पक्षियों पर संकट पैदा हो गया है।

खनन से जुड़े कई कार्य भी जैव विविधता पर असर डाल उसे कम कर रहे हैं, वर्तमान में उपभोक्तावाद तथा विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर सभी देश प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन कर रहे हैं जिससे जैव विविधता घट रही है। मृदा, जल और वायु प्रदूषण भी पारिस्थितिकी चक्र को बुरी तरह प्रभावित करता है और इसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ता है। प्रदूषण अनेक जीवों और पादपों को समाप्त कर देता है। अनेक प्रकार के हानिकारक रसायन जिनका प्रयोग कीटनाशकों के लिए होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में मिसीसीपी नदी द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में जो रसायन गिरते हैं उनसे लगभग 7,700 वर्ग मील मृत क्षेत्र बन गया है जहां 20 मीटर गहराई तक ऑक्सीजन समाप्त हो गई है उससे समस्त जल जीव मर जाते हैं।

यह किसी एक क्षेत्र की कहानी नहीं अपितु समस्त क्षेत्रों की है। समुद्र में तेल का रिसाव तथा उद्योगों का रसायन नदी, झीलों में वहां के जीवों के लिए घातक है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में निरन्तर वृद्धि हो रही है जो जैव विविधता के लिए संकट है।

इस प्रकार, विभिन्न कारणों से प्राकृतिक आवास स्थलों का विनाश लगभग 36 प्रतिशत जैव विविधता के विनाश का कारण रहा है। UNEP और ICUN की रिपोर्ट के अनुसार उष्ण कटिबन्धीय एशिया में वन्य जीवों के 65 प्रतिशत आवास नष्ट हो चुके हैं।

विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां वृहत जैव विविधता देखी जा सकती है। इस प्रकार के क्षेत्रों को 'वृहत जैव विविधता क्षेत्र' कहा जाता है । विश्व में 12 देशों को वृहत जैव विविधता देश के रूप में चिन्हित किया गया है, वे हैं-ब्राजील, कोलम्बिया, इक्वेडोर, पेरु, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, चीन, इण्डोनेशिया मलेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत एक विशाल

देश है, जहां अत्यधिक भौगोलिक एवं पर्यावरणीय विविधता पाई जाती है । भारत विश्व का क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है । मगर यहां भी नवपूंजीवादी विकास मॉडल के अंधानुकरण ने जैव वैविध्य को तहस-नहस कर दिया है। सरकारों ने कॉर्पोरेट लूट के लिए देश के जंगलों और जैव विविधता के दृष्टिकोण से हॉटस्पॉट क्षेत्रों को दान करना शुरू कर दिया है।

जैव विविधता को संरक्षित करने में नैतिक एवं धार्मिक मूल्यों का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है । सभी धार्मिक ग्रन्थों में जीव जगत की सुरक्षा का सन्देश है और यह माना जाता है कि प्रत्येक जीव का पृथ्वी पर महत्व है और उसे जीने का अधिकार है। भारत में पेड़-पौधों, जंगली जानवरों एवं जीवों को धार्मिक आस्था से इस प्रकार से जोड़ा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी सुरक्षा करता है। हिंदू संस्कृति में वृक्षों में देवता का वास मानकर पूजा की जाती है। पीपल, बड़, तुलसी, आदि वृक्षों की नियमित पूजा सामान्य है । इसी प्रकार विभिन्न जीवों को देवता का वाहन अथवा प्रिय स्वीकार कर उनको सम्मान देने की यहां परम्परा है ।

इस्लाम जल चक्र, वातावरण, वनस्पति, समुद्र, पर्वत आदि को मनुष्य के सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इंसानों के दिलों में प्रकृति के लिए एक प्यार पैदा होता है, और वे प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। 'क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को वशीभूत कर लिया है?

(क़ुरआन, 20:31

क़ुरआन के अध्ययन से ये मालूम होता है कि अल्लाह ने ब्रह्मांड और इस दुनिया को बेहतरीन ढंग से बनाया है, जीवन के अस्तित्व के लिए संतुलित प्रणाली बनाई और संतुलन और संयम के साथ सब कुछ बनाया और उनके बीच संतुलन स्थापित किया और ईश्वर पर विश्वास रखने वालों को हुक्म दिया कि इस संतुलन में व्यवधान उत्पन्न न करो। (सुरह रहमान,क़ुरआन)

इस्लामी शिक्षाएं मनुष्य को आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, ज़मीन और जंगलों के प्रयोग से संबंधित फ़िज़ूलख़र्ची को भी अस्वीकार करती हैं।

इस्लामी शिक्षा ये भी है कि यदि मनुष्य प्रकृति के संतुलन अर्थात् पारिस्थितिकीय संतुलन को बिगाड़ता है, इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, दुरुपयोग या बर्बादी करता है, उन्हें प्रदूषित करता है, तो वह ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगा। मनुष्य के सतहीपन, लालची स्वभाव और स्वार्थों ने इस लौकिक संतुलन को बार-बार प्रभावित किया है। बदले में प्रकृति ने इंसानों से कई तरह से बदला लिया। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और अस्तित्व के लिए प्रयास करे।

क़ुरआन दुनिया के क़ौमों को पथ भ्रष्ट समूहों (पृथ्वी पर फ़साद पैदा करने वाले) के बारे में सचेत करता है, वे अपने समय में सभ्य, धनी और शक्तिशाली थे, लेकिन वे पृथ्वी पर 'फ़साद' मचाने के परिणामस्वरूप नष्ट हो गए। आद की क़ौम, समूद की क़ौम, फ़िरऔन के परिवार आदि के विनाश का कारण यह था कि वे 'पृथ्वी के भ्रष्ट' अथवा फ़साद बरपा करने वाले थे।

'फ़साद' क़ुरआन का एक व्यापक शब्द है, जो हर ग़ैर-इस्लामिक कार्य को प्रतिबंधित करता है। क़ुरआन में क़रीब 50 जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ है। हम इसे सभी प्रमुख नैतिक बुराइयों और अपराधों के साथ-साथ बुरे और हानिकारक विचारों के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। इसमें मानव के लिए हानिकारक वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियां भी शामिल हैं। इस शब्द के माध्यम से, क़ुरआन मनुष्य को उसके बुरे कर्मों के भयानक परिणामों से सचेत करता है। क़ुरआन एक स्थान पर स्वंय 'फ़साद' शब्द की इस तरह व्याख्या करता है: "जब वह शक्ति प्राप्त करता है तो पृथ्वी में उसकी पूरी दौड़-धूप बुराई फैलाने, खेतों को लूटने और मानव जाति को नष्ट करने के लिए होती है। परन्तु अल्लाह बुराई को पसन्द नहीं करता" (क़ुरआन 2:205)। यहां यह भी स्पष्ट है कि 'फ़साद' का अर्थ कृषि और नई नस्ल का विनाश है।

जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण मनुष्य की हवस, लोभी और बर्बाद करने का स्वभाव है। क़ुरआन इसे 'इसराफ़' के रूप में संदर्भित करता है और 'इसराफ़' से सख़्ती से रोकता है। क़ुरआन मनुष्य को संयम, संतुलन और सुरक्षा सिखाता है। अंतिम पैग़म्बर की शिक्षाएं भी हमें संयमित रहने की सलाह देती है। उन्होंने कहा : संयम को अपनाओ, अगर पूरी तरह नहीं अपना सकते तो जितना हो सके संयम पर टिके रहो। मनुष्य को अपने सभी कार्यों जैसे खाने, पीने, कमाने, ख़र्च करने, औद्योगिक उत्पादन और उसके उपयोग आदि में, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित और अंततः जैव विविधता को प्रभावित करने वाले सभी कार्यों में ज़िम्मेदार होना आवश्यक है। किसी भी तरह की फ़िज़ूलख़र्ची अर्थात् इसराफ़ को रास्ता न मिले। ■■

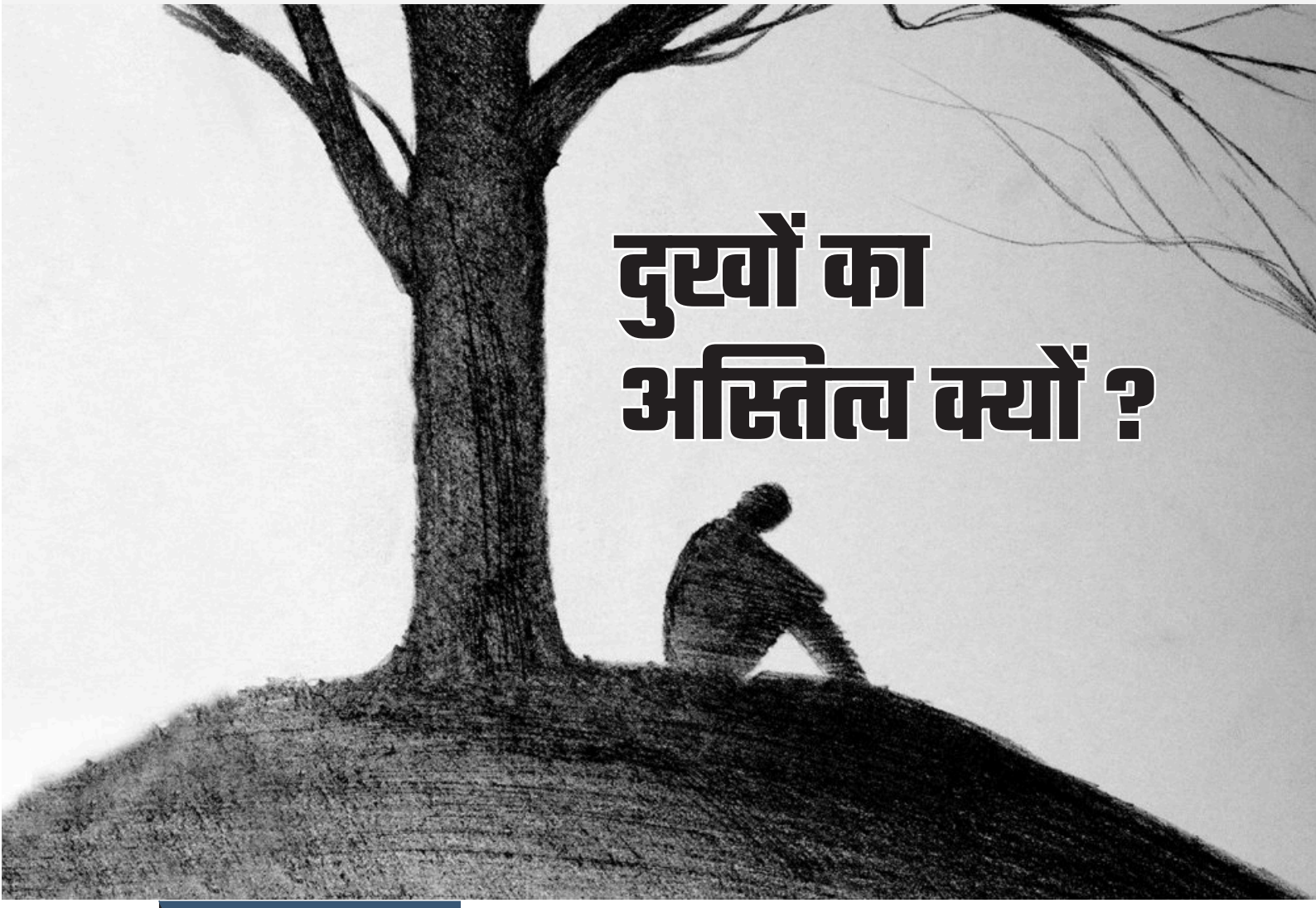

दुखों का अस्तित्व क्यों ?

चिंतन

एस. अमीनुल हसन

दुनिया में दुखों का अस्तित्व क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हज़ारों वर्षों से लोग विचार करते रहे हैं। इस पर धार्मिक एवं दार्शनिक चर्चाएं हुई हैं। इन्सान चाहता है कि दुनिया में उसे केवल सुख मिले दुख न मिले, आनंद मिले पीड़ा न मिले। पश्चिमी सभ्यता की पूरी इमारत इसी पर खड़ी है, यानी आनंद को अधिकतम करना और पीड़ा का न्यूनीकरण करना। दर्शनशास्त्र की भाषा में इसे सुखवाद (hedonism) कहते हैं। इसलिए उन्होंने देखा कि जिन भी बंदिशों से इन्सानों की ख़ुशी या आनंद में कमी आती है, उन बंदिशों को उन्होंने तोड़ दिया।

धर्म एक बंदिश है तो उसे तोड़ दिया, नैतिक मूल्य एक बंदिश या रुकावट हैं तो उसे उन्होंने तोड़ दिया और जहां कहीं भी संभव हुआ उन्होंने सबके लिए आज़ादी पैदा कर दी, लेकिन इन्सान को पीड़ा और दुखों से छुटकारा नहीं मिला। ऐसा क्यों है? यह प्रश्न विचार किए जाने योग्य है। इन्सान को दुख, पीड़ा या कष्ट क्यों मिलता है?

इन्सान इस दुनिया का सर्वोत्तम प्राणी है। अन्य प्राणियों की तुलना में ईश्वर ने उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। उसे कार्य एवं व्यवहार की पूरी आज़ादी प्रदान की है। इस आज़ादी का तक़ाज़ा यह है कि उसके पास चुनाव का विकल्प भी हो। भलाई और बुराई, पाप और पुण्य, सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा। विकल्प देने के बाद ही यह

देखा जाएगा कि कौन अच्छा व्यवहार करता है और कौन बुरा। यदि अच्छे और बुरे का विकल्प न होगा तो इन्सान अच्छा व्यवहार भी नहीं कर सकेगा।

ईश्वर ने जीवधारियों की भांति ही अन्य चीज़ों के भी जोड़े या विपरीत चीज़े अनाई। रात और दिन, लोक और परलोक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठंडा और गर्म आदि-आदि। सुख और दुख, आनंद या पीड़ा भी ऐसी ही चीज़ है। ईश्वर ने इन्सान को इस दुनिया में जिस प्रकृति के साथ भेजा है उसके लिए विकल्प नहीं होगा। वहां केवल आनंद होगा, पीड़ा नहीं होगी या केवल पीड़ा होगी आनंद नहीं होगा। अंततः स्वर्ग या नरक के रूप में यह स्थिति हमारे सामने होगी।

स्वर्ग के आनंद को इन्सान समझ ही नहीं सकता यदि दुनिया में उसे पीड़ा न हो। इसी प्रकार नरक की पीड़ा को इन्सान महसूस ही नहीं कर सकता यदि इस दुनिया में उसे आनंद न मिले।

ऊपर उस आधारभूत संरचना के बारे में बात की गई है कि ऐसा क्यों होता इन्सानों में होता है। हमारी सन्तान यदि कामयाब हो जाए तो हमें ख़ुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार यदि हमें कोई नीचा दिखा दे या निराशा हमारे हाथ लगे तो हमें पीड़ा होती है। दूसरी ओर जानवरों को यदि हरी घास मिल जाए तो उन्हें ख़ुशी होती है। उन पर डंडा बरस जाए या ज़ख़्म हो जाए तो पीड़ा होती है। उन्हें केवल शारीरिक पीड़ा और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए जानवर आत्महत्या नहीं करते, केवल इन्सान ही आत्महत्या करता है।

आनंद और पीड़ा का पूरा दर्शन चयन और स्वतंत्रता पर आधारित है और मौत के बाद आने वाली जो दुनिया है उसकी समझ के लिए ज़रूरी है कि आनंद और पीड़ा दोनों साथ चलें। कुछ चीज़ों के पैदा किए जाने का प्रयोजन हमें मालूम है और कुछ का प्रयोजन हमें अभी तक मालूम नहीं हो सका है। इसी प्रकार आनंद और पीड़ा का भी एक प्रयोजन है। इसका प्रयोजन भी इन्सानों के लिए ही है ताकि पीड़ा से वे सबक़ पाएं।



आनंद और पीड़ा दोनों ज़रूरी है। यदि दुख नहीं होगा तो सुख का कोई महत्व नहीं है। यदि पीड़ा का अनुभव नहीं होगा तो आनंद का आभास भी नहीं होगा। इस दुनिया में आनंद और पीड़ा का अनुभव किए बिना इन्सान मृत्यु के बाद मिलने वाले जीवन में केवल आनंद या केवल पीड़ा को समझ ही नहीं सकता। मानो, एक प्रकार से ईश्वर ने इस दुनिया में ये दोनों चीज़ें देकर इन्सान को यह बताया कि आगे आने वाली जो दुनिया है, वहां है। आनंद और पीड़ा का पूरा दर्शन चयन और स्वतंत्रता पर आधारित है और मौत के बाद आने वाली जो दुनिया है उसकी समझ के लिए ज़रूरी है कि आनंद और पीड़ा दोनों साथ चलें।

अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इन्सानों के अलावा अन्य जीवधारियों को भी तो आनंद और पीड़ा की अनुभूति होती है। उन्हें क्यों तकलीफ़ में रखा गया? हालांकि उनकी पीड़ा या आनंद उस प्रकार का नहीं होता जैसा कि

बहरहाल, सवाल यह है कि इन्सानों को तो आनंद या पीड़ा का अनुभव इसलिए होता है कि उन्हें परलोक में दोनों में से एक मिलेगा, लेकिन जानवरों को इस स्थिति में क्यों रखा गया है? इसका जवाब यह है कि ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें इस संसार में पैदा की हैं वो सब इन्सानों के लिए पैदा की हैं। जीव-जन्तुओं की लाखों प्रजातियां हैं। इसमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं है। इस बारे में

क़ुरआन से हमें जानकारी मिलती है कि-

''वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा कीं।''

(क़ुरआन, 2:29)

यह सवाल किया जा सकता है कि मच्छर को क्यों पैदा किया या मक्खी को क्यों पैदा किया? तो इसका जवाब यह है कि कुछ चीज़ों के पैदा किए जाने का प्रयोजन हमें मालूम है और कुछ का प्रयोजन हमें अभी तक मालूम नहीं हो सका है।



इसी प्रकार आनंद और पीड़ा का भी एक प्रयोजन है। इसका प्रयोजन भी इन्सानों के लिए ही है ताकि पीड़ा से वे सबक़ पाएं। इससे वे ख़ुद की और अपने जानवरों की सुरक्षा करें। चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में जानवरों पर तरह-तरह के प्रयोग किए जाते हैं ताकि इन्सानों को पीड़ा या कष्ट न उठाना पड़े। जानवरों की पीड़ा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।

हर इन्सान के जीवन में कभी न कभी कष्ट, पीड़ा या मुसीबत ज़रूर आती है। कभी पैसे गुम हो गए, कभी स्वास्थ्य ख़राब हो गया, तो कभी परीक्षा में असफल हो गए या नौकरी से निकाल दिया गया। दुनिया में कोई भी इन्सान ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी तकलीफ़ न आती हो। इस दुख और तकलीफ़ के आने का मक़सद ईश्वर ने पश्चात्ताप या भूल सुधार बताया है। यानी इन्सान को जिस भूल या ग़लती की वजह से पीड़ा या कष्ट मिला है वह उसे दूर करे। अपनी और दूसरों की तकलीफ़ों से वह सबक़ ले और उसे दूर करने का उपाय करे।

क़ुरआन में ईश्वर का कथन है- ''क्या वे देखते नहीं कि प्रत्येक वर्ष वे एक या दो बार आज़माइश में डाले जाते हैं? फिर भी न तो वे तौबा करते हैं और न चेतते हैं।'' (क़ुरआन, 10:126)

दुनिया में जितने लोगों को हम कष्ट या पीड़ा में देखते हैं वे सब हमारे लिए एक आईना हैं, जिसमें देखकर हम अपने आपको संवार सकते हैं। इसके अलावा इन्सान को यह सदैव याद रखना चाहिए कि सुख और दुख, आनंद या पीड़ा इस दुनिया की एक अस्थाई स्थिति है, क्योंकि यह जीवन बहुत ही छोटा है। स्थाई और असीमित सुख या दुख तो परलोक का है। इसलिए हर इन्सान के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपनी ग़लतियों से तौबा (पश्चात्ताप) करे और समय रहते चेत जाए।

इसलिए जो भी तकलीफ़ें आती हैं वह ईश्वर की ओर लौटने, अपने व्यवहार को ठीक करने और अपने रवैये को बदलने एवं सीख लेने के लिए आती हैं। दुनिया में जितने लोगों को हम कष्ट या पीड़ा में देखते हैं वे सब हमारे लिए एक आईना हैं, जिसमें देखकर हम अपने आपको संवार सकते हैं। इसके अलावा इन्सान को यह सदैव याद रखना चाहिए कि सुख और दुख, आनंद या पीड़ा इस दुनिया की एक अस्थाई स्थिति है, क्योंकि यह जीवन बहुत ही छोटा है। स्थाई और असीमित सुख या दुख तो परलोक का है। इसलिए हर इन्सान के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपनी ग़लतियों से तौबा (पश्चात्ताप) करे और समय रहते चेत जाए। ■■

“जो लोग अपने माल को रात-दिन छिपे और खुले ख़र्च करते हैं, उनके लिए अपना प्रतिदान उनके ‘रब’ के पास है, और न उन्हें कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे।
(क़ुरआन, 2:274)”

A Well Wisher
Irshad Ahmad
(Hyderabad)

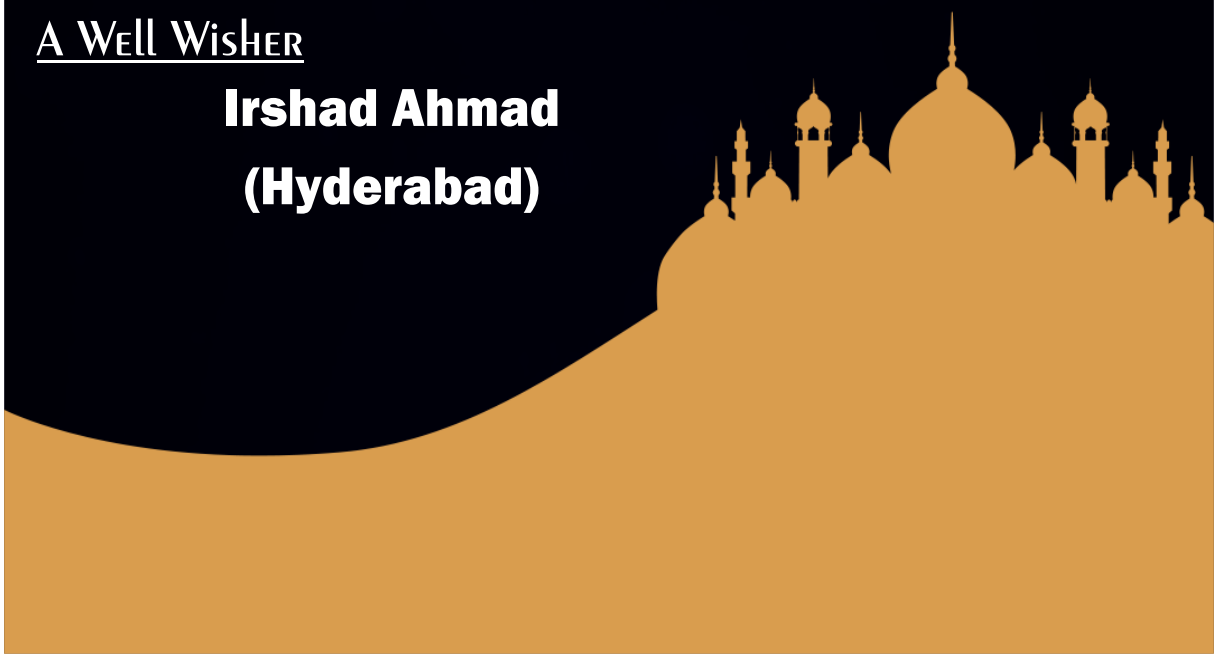



ख़ुद को बचाएं इस जाल से

सौंदर्य बोध



सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का वह मॉडल है, जिसमें चीज़ों का बेचने वाला न केवल अपनी बेची हुई चीज़ों पर मुनाफ़ा कमाता है, बल्कि जिन लोगों को उसने सीधे या किसी के ज़रिये इस व्यपार में शामिल किया है उनकी सेल पर भी मुनाफ़ा कमाता है। इस तरह अगर a ने b और c को चीज़ें बेची हैं, b ने d, e, और, f , को बेची, c ने g , h और i को, d ने j, k और l को बेची हैं, तो उनकी व्यापारिक सक्रियता के नतीजे में मुनाफ़े का कुछ हिस्सा a को भी मिलता रहेगा।

इस तरह d, e, f, j, k, l, g, h, i; इन सबके ज़रिये जो विक्रय होगा, उसका लाभ मुनाफ़ा ए को मिलता रहेगा, जबकि d, e, f और j, k, l का मुनाफ़ा b को भी और g, h और i का मुनाफ़ा, c को भी मिलता रहेगा, ये सब ए के डाउन लाइंस (यानी निचली पंक्ति के सदस्य) कहलाते हैं और डाउन लाइंस जितनी ज़्यादा होंगी मुनाफ़े की आमदनी भी उतनी ही ज़्यादा होती है।

इस तरह बहुस्तरीय मार्केटिंग (MLM) में कामयाबी के लिए केवल यह ज़रूरी नहीं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें बेचे, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि जिन लोगों को चीज़ें बेची गई हैं वे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे सेल करें, इस तरह ये सिलसिला जितना लम्बा और जितना फैला हुआ होगा, और डाउन लाइंज़ में जितना ज़्यादा कारोबार होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा।

एक आदमी ऊंची क़ीमत पर कोई चीज़ ख़रीद कर मेंबर बन जाता है और ख़रीदी हुई चीज़ का प्रचार करना शुरू कर देता है, प्रचार से प्रभावित होकर अगर कोई उस चीज़ को ख़रीदना चाहे तो वह उसे किसी डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) के पास नहीं भेजता, बल्कि ख़ुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है।

नेटवर्क मार्केटिंग के समर्थकों के अनुसार, व्यापार के इस मॉडल में जन

(MLM)

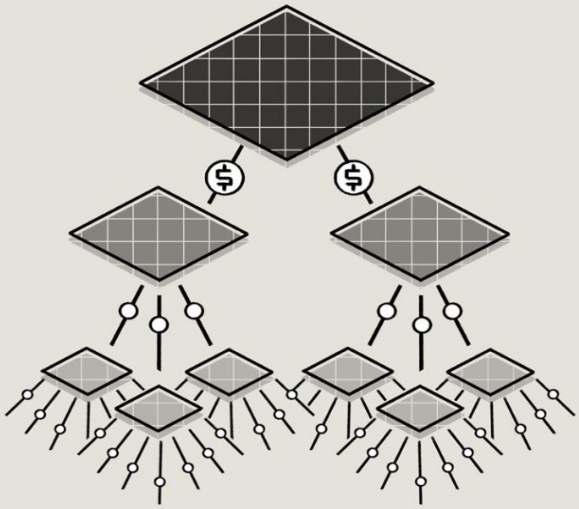

इस तरह बहुस्तरीय मार्केटिंग (multilevel Marketing) में कामयाबी के लिए केवल यह ज़रूरी नहीं कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें बेचे, बल्कि यह भी ज़रूरी है कि जिन लोगों को चीज़ें बेची गई हैं वे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे सेल करें, इस तरह ये सिलसिला जितना लम्बा और जितना फैला हुआ होगा, और डाउन लाइन्ज़ में जितना ज़्यादा कारोबार होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा।

सम्पर्क और व्यक्ति की व्यक्ति से जान पहचान और संबंधों के आधार पर व्यापार होता है।

चूंकि ज़्यादा से ज़्यादा जन सम्पर्क पर मुनाफ़े की आमदनी भी ज़्यादा है, इसलिए इस स्कीम में निजी सम्पर्कों के ज़रिये ही चीज़ों के सेल का प्रचार हो जाता है और प्रचार (advertisement) का ख़र्च बच जाता है जो डिस्ट्रीब्यूटरों में मुनाफ़े के रूप में बंटता है।

सामान्य व्यापारिक मॉडलों में भी अगर खुदरा व्यापारी ज़्यादा सेल करे तो थोक व्यापारी और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के मुनाफ़े में वृद्धि होती है। इसी प्रकार इस स्कीम में भी डाउन लाइंज़ में ज़्यादा सेल से डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा मुनाफ़ा कमाता है।

चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर का मुनाफ़ा डाउन लाइंस की सक्रियता पर भी निर्भर करता है, इसलिए वह उन्हें ऐक्टिव रखने और उनका व्यापार बढ़ाने में हिस्सा लेता है, और अधिक मुनाफ़ा इस सक्रियता का उचित प्रतिफल होता है। यह उन तर्कों का ख़ुलासा है जो 'नेटवर्क मार्केटिंग' के प्रचलित तरीक़ों को विकसित और डाउन लाइंस के मुनाफ़े में डिस्ट्रीब्यूटर की हिस्सेदारी को उचित क़रार देने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

'नेटवर्क मार्केटिंग' का आरम्भ पिरामिड योजना (pyramid scheme) से हुआ, जिसे पोंज़ी (ponzi) नाम के एक व्यक्ति ने शुरू की थी, इस योजना में चीज़ों का विक्रय नहीं होता, बल्कि केवल राशि के आधार पर एक श्रृंखला (chain) चलती है। एक आदमी कुछ फ़ीस देकर मेंबर बनता है और फिर नए मेंबर बनाने की कोशिश करता है, नए मेंबरों की जमा फ़ीस में से कुछ हिस्सा पहले आदमी को मुनाफ़े के तौर पर मिलता है और नए मेंबर्स इसी तरह के मुनाफ़े की लालच में और नए मेंबर बनाते हैं, इसी तरह मेंबर्स की हर अगली श्रृंखला के नुक़सान की क़ीमत पर पिछली श्रृंखलाओं का मुनाफ़ा होता है, अगली श्रृंखला के लोग इसलिए यह नुक़सान सहन करते हैं कि उन्हें उम्मीद होती है कि वे नए मेंबर बनाकर ढेर-सा मुनाफ़ा कमाएंगे। ये सिलसिला चलता रहता है। यहां तक कि जिस समय यह स्कीम नाकाम होती है उस समय जो लोग डाउन लाइंस (down lines) में होते हैं वे नुक़सान में रहते हैं, और श्रृंखला में जो जितना ऊपर होता है वह उतना ज़्यादा मुनाफ़ा कमा ले जाता है।

इस तरह की स्कीमों के अनुचित होने में कोई दो राय नहीं, इसलिए कि इसमें जुआ, ब्याज, धोखा आदि सारी ख़राबियां मौजूद हैं, दुनिया के बहुत से देशों में इस तरह की स्कीमों पर पाबंदी भी है, पोंज़ी स्कीमों का एक रूप 'उपहार योजना' है। इसमें भी चीज़ों का क्रय-विक्रय नहीं होता, बल्कि धन का ही कारोबार होता है और बेहतर प्रदर्शन करने पर वितरकों को उपहार दिए जाते हैं।

इसका एक और रूप इंटरनेट पर

एमएलएम योजना की वास्तविकता ही यह है कि डाउन लाइनर्स (निचली पंक्ति के सदस्य) के नुक़सान की क़ीमत पर अपलाइनर्स (ऊपरी पंक्ति के सदस्य) को फ़ायदा पहुंचाया जाए। प्रचलित तरीक़ों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, डीलरों और वितरकों की एक सीमित संख्या होती है, ये संख्या चीज़ों के व्यापार की मांग और बाज़ार के आकार पर निर्भर होती है, अक्सर एक इलाक़े में एक ही डीलर होता है, इस तरह तिजारती नेटवर्क और मार्केट में एक सीमा तक सामंजस्य होता है।

'रिपोर्ट चेन' है, जिसमें इंटरनेट पर कुछ बेकार की सामग्री फ़ीस देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करना होता है, यह भी पोंज़ी स्कीम का ही एक रूप है, पोंज़ी स्कीमों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जन विरोध और क़ानूनी बंदिशों से ख़ुद को बचाने के लिए कुछ कंपनियों ने चीज़ों के विक्रय का माध्यम खोज लिया और यही एमएलएम या 'नेटवर्क मार्केटिंग' है, इसमें और पोंज़ी स्कीमों में समानता को आसानी से समझा जा सकता है।

एमएलएम योजना की वास्तविकता ही यह है कि डाउन लाइनर्स (निचली पंक्ति के सदस्य) के नुक़सान की क़ीमत पर अपलाइनर्स (ऊपरी पंक्ति के सदस्य) को फ़ायदा पहुंचाया जाए। प्रचलित तरीक़ों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, डीलरों और वितरकों की एक सीमित संख्या होती है, ये संख्या चीज़ों के व्यापार की मांग और बाज़ार के आकार पर निर्भर होती है, अक्सर एक इलाक़े में एक ही डीलर होता है, इस तरह तिजारती नेटवर्क और मार्केट में एक सीमा तक सामंजस्य होता है।

एमएलएम के व्यावसायिक तरीक़े में हर वितरक असीमित नए वितरक बनाने की कोशिश करता है, ये सिलसिला चलता रहता है, किसी इलाक़े में किसी भी चीज़ के ग्राहकों की संख्या सीमित होती है, सीमित ग्राहकों के लिए असीमित व्यापारी बनाने का ये सिलसिला अंततः कहीं न कहीं जाकर रुक जाता है, और जब यह रुकता है तो उस समय तक जो नए ग्राहक सबसे निचले डाउन लाइनर्स होते हैं वे पूरी तरह से घाटे में रहते हैं। वे जो चीज़ ख़रीदते हैं, उसकी क़ीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसी ज़्यादा क़ीमत के ज़रिये अपलाइनर्स को मुनाफ़ा दिया जाता है।

यह ज़्यादा क़ीमत वे केवल उस चीज़ के लिए नहीं देते, बल्कि इसलिए देते हैं कि उन्हें उम्मीद होती है कि वे और डाउन लाइनर्स बनाकर उनसे मुनाफ़ा कमाएंगे, लेकिन अब चूंकि बाज़ार में और नए ग्राहकों की संभावना बाक़ी नहीं रहती, इसलिए डाउन लाइनर्स नहीं बना पाते, उनकी बढ़ी हुई क़ीमत डूब जाती है और इस नुक़सान के बदले में उन लोगों का फ़ायदा होता है, जो इस कारोबार में पहले प्रविष्ट हुए (अपलाइनर्स) होते हैं।

■■

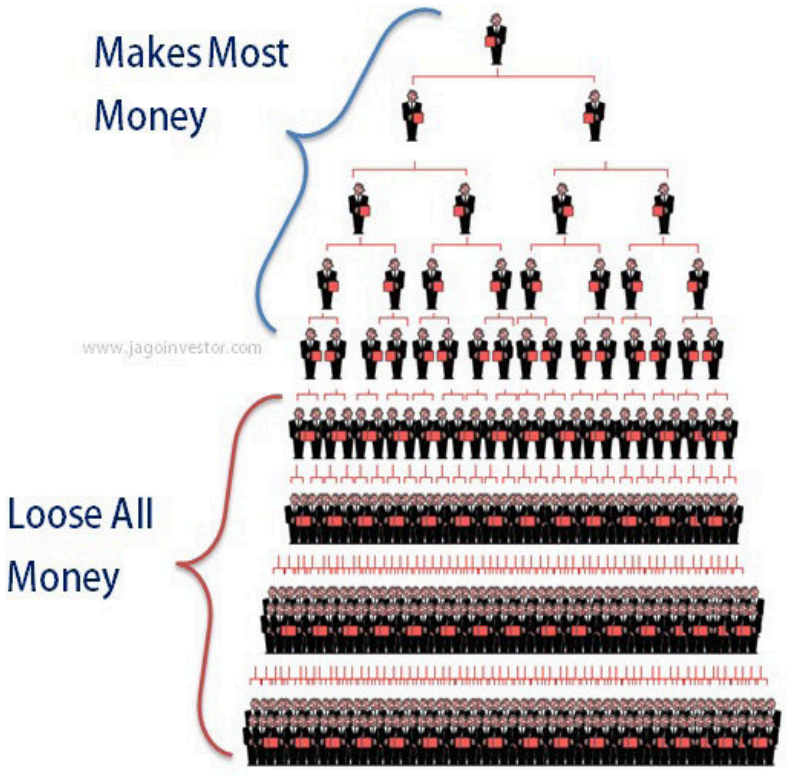

"उस सत्ता की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! बन्दा ईमान वाला नहीं होता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसन्द न करे जो वह स्वयं अपने लिए पसन्द करता है।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

A Well Wisher

➢ **Dildar Khan**
(Bihar)

कॉप-15
2022



जैव विविधता संरक्षण

लक्ष्यों पर भारी पड़ती इन्सानी महत्वाकांक्षाएं

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

धरती पर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने और जीवन की निरंतरता को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। यह सर्वविदित है कि दुनियाभर में जिस तेज़ी से जैव विविधता और पर्यावरण मूल्यों की हानि हो रही है, वह गंभीर चिंता का विषय है। जैव विविधता के ह्रास के कारण जलवायु संबंधी विभिन्न समस्याएं जन्म ले रही हैं। जैव-विविधता से तात्पर्य धरती पर मौजूद जीवों और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है। जीवों की विविधता ही धरती पर जीवन के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करती है। विलुप्त होती जैव विविधता धरती को विनाश की ओर ले जा रही है। तथाकथित विकास और औद्योगिक गतिविधियों से जैव-विविधता का तेज़ी से क्षरण हो रहा है। अतः जैव विविधता पर मंडराता ख़तरा मानव अस्तित्व के लिए भी जोखिम बढ़ा रहा है। ऐसे में जैव विविधता के नुक़सान का मानव स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है।

जैव विविधता को बचाने की मुहिम के तहत बीते माह दिसम्बर में वैश्विक स्तर पर विचार किया गया। चीन की अध्यक्षता और कनाडा की मेज़बानी में मांट्रियल शहर में आयोजित पंद्रहवां संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (कॉप-15) में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए।

इस सम्मेलन की ख़ास बात यह रही कि सदस्य देशों के बीच जैव विविधता की रक्षा के लिए विकासशील और ग़रीब देशों को हर साल वित्तीय मदद पर सहमति बनी। समझौते के तहत ग़रीब देशों के लिए सालाना वित्तीय मदद को 2025 तक बढ़ाकर कम से कम 20 अरब डॉलर किया जाएगा। वर्ष 2030 तक यह रक़म बढ़कर 30 अरब डॉलर प्रतिवर्ष हो जाएगी। समझौते का सबसे अहम हिस्सा 2030 तक जैव विविधता

के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30 प्रतिशत भूमि और महासागरों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता है। फ़िलहाल 17 प्रतिशत स्थलीय और 10 प्रतिशत समुद्री क्षेत्र संरक्षित हैं।

इस आयोजन में जो सहमति बनी वह काग़ज़ों पर तो काफ़ी प्रभावशाली नज़र आती है, लेकिन उसका क्रियान्वयन काफ़ी कठिन साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए कृषि के लिए 2030 तक कीटनाशकों के इस्तेमाल को 50 प्रतिशत घटाने की अनिवार्यता रखी गई है। इस पर कुछ देश सहमत नहीं हैं।

सवाल यह है कि कुछ सरकारें आख़िर क्यों कीटनाशकों या खाद कंपनियों की लॉबी की गिरफ़्त में दिखती हैं? अगर वे इनको दरकिनार नहीं करेंगी, तो सुरक्षित खाद्य तंत्र की ओर हम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकेंगे, जितनी अपेक्षा की जा रही है।

हमारे देश में भी जब-जब कीटनाशकों पर सवाल उठा है, सरकारें उसके बचाव में उतर आती हैं। केरल में ही काज़ू के बागानों में एंडोसल्फान कीटनाशक का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था, और जब ग्रामीणों ने बीमारियों की वजह से इसका विरोध किया, तो केंद्र सरकार इसका बचाव करने लगी थी। यहां तक कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में जब इस पर प्रतिबंध लगाया गया, तब भी हमारी सरकार नहीं चाहती थी कि इसका उपयोग बंद हो। हालांकि, बाद में इसका इस्तेमाल बंद किया गया।

भारत जैव विविधता के लिहाज़ से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। यहां काफ़ी ज़्यादा वैविध्य है। मगर सच यह भी है कि बीते कुछ वर्षों में विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि ली गई है। छत्तीसगढ़ में ही कोयला खनन के नाम पर हज़ारों पेड़ काटने की बात चल रही है। अंडमान में विकास के नाम पर आठ लाख पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी पूर्ति गुरुग्राम (हरियाणा) में वृक्षारोपण करके की जाएगी। क्या यह सही नीति है? हमें अपनी पारिस्थितिकी की क़ीमत पर ऐसे कथित विकास-कार्यों से बचना चाहिए। हमें यह तय करना ही होगा कि ऐसे कार्यों से हम पर्यावरण को जितना नुक़सान



पहुंचा रहे हैं, उसकी क़ीमत क्या है? कहीं यह तो नहीं कि खनन से जितना फ़ायदा हमें मिलेगा, उससे कहीं क़ीमती पारिस्थितिकी को हम नष्ट कर रहे हैं? इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्य-निर्धारण की व्यवस्था होनी चाहिए।

भारत में हरित क्रांति के बाद, जिस तरह से एकल कृषि को बढ़ावा मिला है, उसने हमारी जैव विविधता को काफ़ी चोट पहुंचाई है। आज कपास की होने वाली 95 प्रतिशत खेती बीटी कॉटन की हो रही है, जिस कारण कपास की अन्य प्रजातियां किसानों के लिए अनुपलब्ध हो गई हैं। जीएम फ़सल से आगे भी एकल कृषि को ही बढ़ावा मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि दुनिया की 70 प्रतिशत जैव विविधता केवल सत्रह देशों में पाई जाती है। इनमें भारत भी शामिल है। भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है, लेकिन यहां वन्यजीवों की लगभग 51 हज़ार और वनस्पतियों की 45 हज़ार प्रजातियां पाई जाती हैं। जैव-विविधता का यह विशाल स्वरूप पारिस्थितिक-तंत्र को संतुलित रखने और मानव जीवन को अनुकूल बनाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ है।

विभिन्न प्रकार के पौधों और जीवों की विस्तृत श्रृंखला स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली के निर्माण में सहायक है। मसलन, पेड़-पौधे प्राणवायु का संचार करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाईऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का अवशोषण कर धरती को अतिरिक्त ताप के ख़तरे से बचाते हैं। वहीं प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव वन चक्रवात और सुनामी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक तरफ़ राइजोबियम, एजोटोबैक्टर जैसे जीवाणु और केंचुए जैसे जीव मृदा को उर्वर बनाने में सहायक हैं, तो दूसरी ओर गिद्ध सहित हज़ारों जीव मृत जीवों के अवशेषों का भक्षण कर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। इस तरह सबके सहयोग से एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, लेकिन अनुचित मानवीय गतिविधियों के हस्तक्षेप से पौधों और

जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कइयों का अस्तित्व संकट में है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, दुनिया की लगभग 80 लाख वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों में से दस लाख विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि प्राणवायु, भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका और समृद्धि के विभिन्न साधनों के लिए हम किसी न किसी रूप से जैव विविधता पर आश्रित हैं। प्रकृति मानवता की पोषक है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट वैश्विक आबादी के लगभग चालीस प्रतिशत हिस्से के भविष्य को प्रभावित कर रही है। मानव समाज के लिए यह एक बड़ी चेतावनी है। अगर समय रहते इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए त्वरित और ठोस प्रयास नहीं किए गए, तो मनुष्य का अपना अस्तित्व भी ख़तरे में पड़ सकता है। भारत में असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित कुल अठारह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दादर एवं नगर हवेली-दमन एवं दीव में वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों पर विलुप्त होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (काप-15) में शामिल देशों के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ, उसके तहत बनी सहमति के अनुसार, इस दशक के अंत तक विश्व भर में 30 प्रतिशत भूमि, तटीय इलाक़ों और अंतर्देशीय जलक्षेत्र के संरक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। यहीं पर कॉप-15 बैठक में लक्ष्यों की निगरानी की बात महत्वपूर्ण बन जाती है। जैव विविधता को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में ठोस प्रयास करने होंगे।



इसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर वैश्विक स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी यानी 'ग्लोबल' से 'लोकल' तक कड़े क़दम उठाने होंगे।

अब यह धारणा बदलनी होगी कि हमें पेड़ नहीं, विकास चाहिए। विकास का मतलब प्रकृति को ख़त्म करना नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी से संतुलन बनाते हुए तरक़्क़ी करना चाहिए। पर्यावरण पर ग़ौर किए बिना किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। हमें जब यह पता है कि दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों का 34 प्रतिशत हिस्सा कृषि से उत्सर्जित हो रहा है, तो हमें सुरक्षित खेती की ओर बढ़ना ही होगा। जैव विविधता बचेगी, तभी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी हम समाधान कर सकेंगे।

जानकारों की मानें तो जैव विविधता को अगर दार्शनिक नज़रिये से देखा जाए तो इसका संबंध उस ज्ञान से है जो लाखों वर्षों के दौरान जीवों की उत्पत्ति से सीखा गया है। इसका संबंध इस बात से भी है कि पृथ्वी के निरंतर बदलते माहौल और पर्यावरण में कैसे बचा रहा जा सके। इस समय मनुष्य जैव विविधता को बहुत तेज़ी से नष्ट कर रहा है। हमारी वैश्विक चर्चाओं में भी इस विषय पर अधिक बात नहीं होती है। धरती की पारिस्थितिकी की परस्पर संबद्ध व्यवस्था पर नज़र डालने के लिए हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

ऐसे में ज़रूरी है कि जैव विविधता के रूप में मानव जीवन के आधार को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाए। हमें समग्रता में अपनी नीतियां बनानी होंगी। विकास नीतियों में प्रकृति व पर्यावरण को सबसे ऊपर रखना होगा। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उन मानवीय गतिविधियों पर लगाम लगाने की है जो जैव विविधता के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। मानवीय गतिविधियों पर लगाम लगाने के साथ-साथ जैव विविधता के संरक्षण हेतु समाज में भी जागरूकता पैदा करनी होगी। विकास के विभिन्न प्रारूपों की वजह से धरती पर असंतुलन न हो, इसके लिए पहले से ही ज़रूरी संसाधनों का संरक्षण अगर नहीं किया गया, तो इसका ख़ामियाज़ा सबसे ज़्यादा मनुष्य को ही उठाना पड़ेगा। ■■

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

एक नज़र में

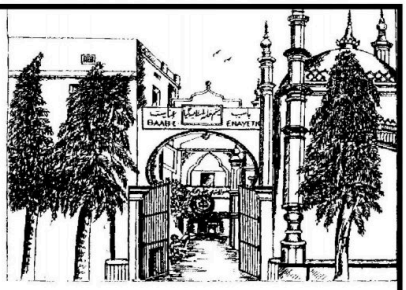

दीनी व असरी उलूम की अपने तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह

● सालह ख़िदमात ● बहुत सारे शोबाजात तालीमी मराहिल दर्जा अतफ़ाल ता मैट्रिक (Matric) शोबा हिफ़्ज़-ओ-नाजरह हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक बिहार स्कूल बोर्ड एक्ज़ामिनेशन हर साल का सद फ़ीसद 100% रिजल्ट ● फासलाती (Distance Education) I.A, B.A, M.A. और लाइब्रेरी साइंस (Blis) में 2022-23 के सेशन के लिए दाख़िला जारी (स्टडी सेन्टर यतीमख़ाना गया) मंज़ूरशुदा : मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ● कम्प्यूटर (Computer) की भी तालीम कफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च बीस हज़ार (Rs. 20,000) रुपये 70 यतीम तलबा जिनका सारा ख़र्च इदारा ही बर्दाश्त करता है। सालाना ख़र्च 25 लाख रुपये से ज़ायद ज़रिया-ए-आमदनी मुस्लिम अवाम के चन्दे ● आप जिस शक्ल में मुमकिन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह तआला से अज्र अज़ीम हासिल करें। तआवुन की शक्लें मसलन ● ज़कात ● अतियात ● सदक़ात ● पैदावार की ज़कात ● चिर्म-ए-क़ुरबानी ● एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च ● बैंक (Bank) के सूद (Interest) की वह रक़म जो मुसलमानों के लिए हराम है। ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवा दें वग़ैरह।

तीन बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो बैंक से सूद (Interest) के तौर पर मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम तलबा की जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यहां हर साल (Audit) भी कराया जाता है। ❸ आप इदारा में पहुंचकर मसावात का मिसाली और अमली नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस तरह यतीम और ग़ैर-यतीम बच्चे मिलकर रहा करते हैं।

नोट : इनायत आई॰टी॰आई॰ (EnayethI.T.I.) की दुमंज़िला इमारत खड़ी हो गई है और दाख़िला जुलाई 2018 ई॰ से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Electrician Trade) से ही शुरू है। दूसरा ट्रेड फीटर (Fitter) का है। दोनों में दाख़िला 2022-2024 के लिए जारी है। यह N.C.V.T. (भारत सरकार) से मंज़ूरशुदा है। ❷ पुरफ़िज़ा मक़ाम, पुरसुकून माहौल, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम। ❸ यतीम तलबा जिनके वालिद का इन्तिक़ाल हो चुका है उनके क़याम-ओ-तआम के साथ-साथ एक बेटे की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है। ❹ बैरूनी तलबा के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल का भी नज्म है। ❺ क़ौम के मुअज़्ज़िज़ हज़रात से गुज़ारिश है कि क़ौम के यतीम बच्चों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए ज़हमत करें और तवज्जोह दिलाएं। ❻ इनायत आई॰टी॰आई॰ (I.T.I.) में यतीमख़ाना में पढ़ने वाले यतीम तलबा का दाख़िला, तालीम मअ-तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

इदारा आप से फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह क़दीम इदारा माली बुहरान में मुबतला है। दुश्वारियों का सामना है। आमदनी घट कर कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : "The Gaya Muslim Orphanage"
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Orphanage"

बराए राबता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)
Hon. Secretary, The Gaya Muslim Orphanage
Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India

Indian Donors : भारतीय चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Orphanage
Bank A/c No. : 300402010010581
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)
IFS Code No. : UBIN0530042

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

Mobile : 09801213022, 09955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in / Website : www.gmogaya.in

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

एज़ाज़ी नाज़िम डॉ॰ ज़ेड॰ एच॰ ख़ान सदर डॉ॰ फ़रासत हुसैन



जैव विविधता पर मंडराते ख़तरे

अभिमत



अनिरुद्ध गौड़

जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण पूरे विश्व में जैव विविधता ख़तरे में है। कनाडा के मांट्रियल शहर में 7 से 19 दिसम्बर तक आयोजित हुई कॉप-15 बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटीनियो गुटेरेश सहित तमाम प्रतिनिधि देशों ने असंतुलित वैश्विक जैव विविधता पर चिंता व्यक्त की। क़रीब 196 देशों के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र ने कॉन्फ्रेंस ऑफ़ दी पार्टीज़ टू दी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (कॉप) घोषित किया है। 1994 से 1996 तक कॉप की सालाना बैठक होती रहीं। 2000 में आयोजन के नियम में संशोधन हुआ और यह बैठक प्रत्येक दो वर्ष में होने लगी।

कॉप-15 चीन के कुनमिंग और कनाडा के मांट्रियल में दो फेज़ में संपन्न हुई । इसमें 188 देशों के प्रतिनिधियों अमेरिका सहित द वेटिकन ने जापान के आईची शहर में हुई कॉप की 11वीं बैठक (आईची-11) के लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए कॉप-15 में वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के 23 लक्ष्यों और 4 उद्देश्यों को निर्धारित किया है। ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनना पृथ्वी की प्रकृति के लिए मील का पत्थर साबित होगा बशर्ते सभी देश कॉप-15 में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के क़रीब पहुंचते हैं। वैश्विक जैव विविधता के मुद्दे पर पीछे मुड़कर देखें तो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक मंच पर 1992 में रियो डी जेनेरियो में संपन्न अर्थ सम्मिट में वैश्विक जैव विविधता संरक्षण पर पहली बार चिंता जताई गई। फिर दिसम्बर 1993 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) की अंतरराष्ट्रीय संधि पर विश्व के प्रतिनिधि देशों ने हस्ताक्षर कर इसे लागू किया। विश्व स्तर पर जारी आकलन रिपोर्ट में पशु और



पौधों की लाखों प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जिसके पीछे इंसानी महत्वाकांक्षा है। हालांकि कॉप-15 में 2030 तक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा से जुड़े उपायों में 30 प्रतिशत भूमि तटीय इलाक़ों और अंतर्देशीय जलक्षेत्र के संरक्षण लक्षित हैं।

महत्वपूर्ण है कि वैश्विक जैव विविधता पर मंडराते ख़तरे से निपटने के लिए 2010 में आईची-में लगभग 200 देशों ने 2020 तक अपने स्तरीय क्षेत्र में कम से कम 17 प्रतिशत ज़मीनी और 10 प्रतिशत समुद्री हिस्से को संरक्षित करने का संकल्प लिया था, लेकिन 2020 तक इस लक्ष्य तक विश्व के काफ़ी देश नहीं पहुंच सके। इसलिए कॉप-15 में कुनिमंग-मांट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) 2030 के लक्ष्य अर्थात् 30 फ़ीसदी भूमि समुद्र, तटीय इलाक़ों और अंतर्देशीय जलक्षेत्र को संरक्षण करना कॉप देशों के लिए बड़ी चुनौती है। आईची-11 लक्ष्यों की समीक्षा करने पर पाया गया है कि भारत सहित दुनिया के काफ़ी देश इस लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी दूर रहे हैं। भारत में 6 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र ही घोषित हैं और 2010 से पिछले दस वर्षों में भारत मात्र 0.1 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र ही बढ़ा पाया है। एशिया के अधिकतर देशों की कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। भारत के आंकड़ों पर ग़ौर करें तो देश के 1,73,306.83 वर्ग किमी संरक्षित क्षेत्र में 990 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है। इसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान 565 वन्य जीव अभ्यारण 100 संरक्षण रिज़र्व और 219 सामुदायिक रिज़र्व शामिल हैं। हालांकि पिछले 10 वर्षों में 40 प्रतिशत एशियाई देशों ने संरक्षित क्षेत्रों में 17

वैश्विक आकलन के मुताबिक 10 लाख पशुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इनमें से हज़ारों एक दशक के भीतर ही विलुप्त हो जाएंगी। आईपीबीईएस अध्यक्ष रॉबर्ट वॉटसन की चिंता है कि तेज़ी से नष्ट हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र पर सभी पूरी तरह से निर्भर है। हम पशु, खाद्य सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को नष्ट करते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केवल 15 प्रतिशत पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से ही विलुप्ति का यह खतरा 60 प्रतिशत तक कम हो सकता है।



फ़ीसदी हिस्से के लक्ष्य को हासिल किया है। इनमें भूटान, नेपाल, जापान, क़तर, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने संरक्षित क्षेत्र बढ़ाने में महती कामयाबी पाई है।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं का आकलन करने वाली अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच (आईपीबीईएस) की गत 6 मई, 2019 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक़ जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न सेवाएं ख़तरे में हैं। वैश्विक आकलन के मुताबिक़ 10 लाख पशुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इनमें से हज़ारों एक दशक के भीतर ही विलुप्त हो जाएंगी। आईपीबीईएस अध्यक्ष रॉबर्ट वॉटसन की चिंता है कि तेज़ी से नष्ट हो रहे पारिस्थितिकी तंत्र पर सभी पूरी तरह से निर्भर है। हम पशु, खाद्य सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को नष्ट करते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में केवल 15 प्रतिशत पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से ही विलुप्ति का यह ख़तरा 60 प्रतिशत तक कम हो सकता है। गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पवित्र गंगा नदी को फिर से जीवंत करने की पहल पर काम करने के लिए नमामि गंगे की सराहना करते हुए उसे प्राकृतिक जगत को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित 10 अग्रणी प्रयासों में स्थान दिया है।

आईपीबीईएस की रिपोर्ट ने दुनिया को चिंतित तो कर दिया है लेकिन वैश्विक दृढ़ प्रतिज्ञा हमें इस संकट से उबार सकती है। गृह और मानवता को बचाने के लिए तत्काल एक साथ आना होगा। विकसित देशों को विकासशील और ग़रीब देशों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग देकर वैश्विक बायोडायवर्सिटी असंतुलन के संकट से उबरने में आगे आकर बड़े सहयोग की आवश्यकता है। तभी 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और समुद्र के संरक्षण के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी। ■■

(साभार : राष्ट्रीय सहारा)



आईपीबीईएस की रिपोर्ट ने दुनिया को चिंतित तो कर दिया है लेकिन वैश्विक वृढ़ प्रतिज्ञा हमें इस संकट से उबार सकती है। ग्रह और मानवता को बचाने के लिए तत्काल एक साथ आना होगा। विकसित देशों के विकासशील और ग़रीब देशों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग देकर वैश्विक बायोडायवर्सिटी असंतुलन के संकट से उबरने में आगे आकर बड़े सहयोग की आवश्यकता है। तभी 2030 तक 30 प्रतिशत भूमि और समुद्र के संरक्षण के लक्ष्य को पाने में आसानी होगी।

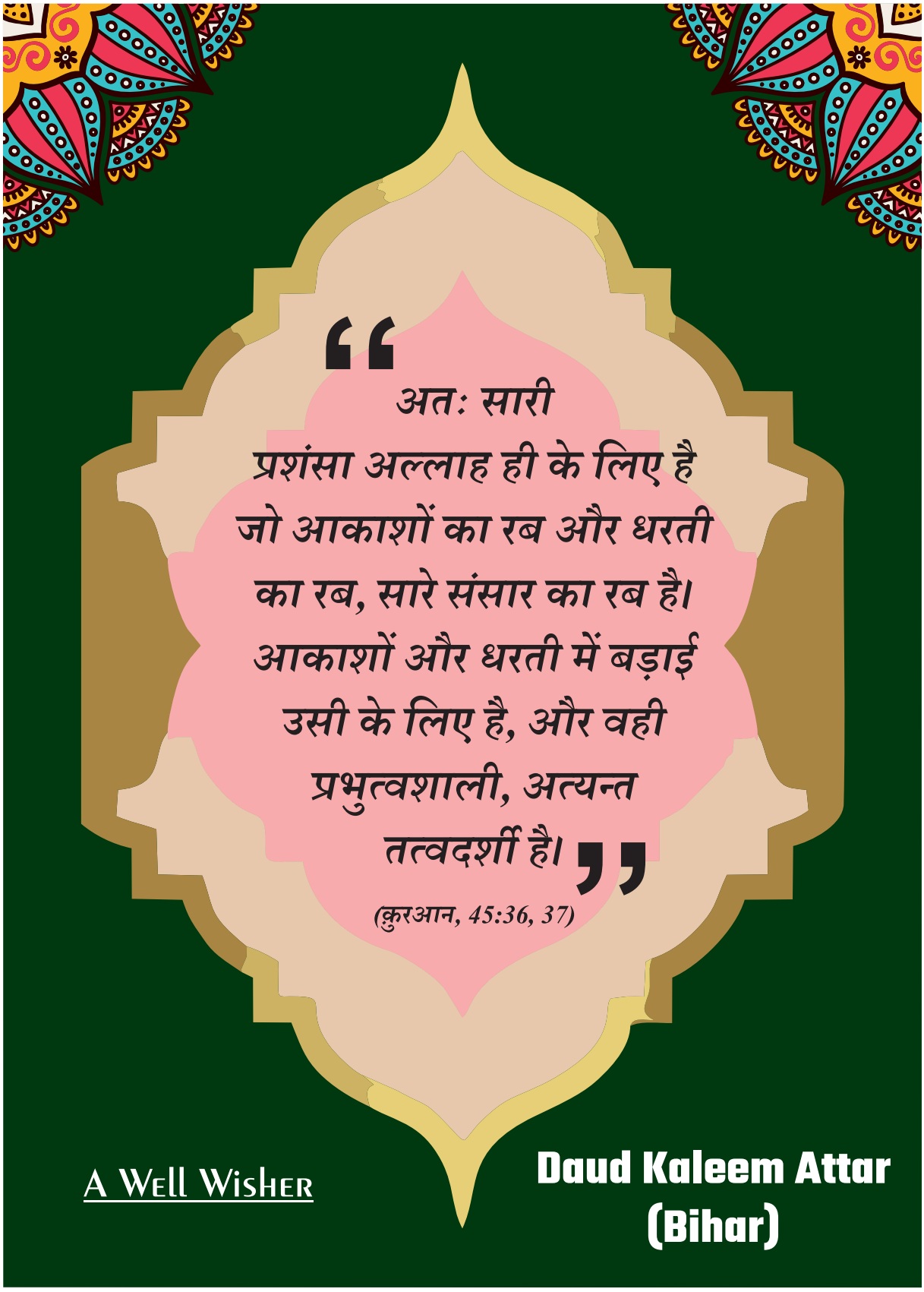
“अतः सारी
प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है
जो आकाशों का रब और धरती
का रब, सारे संसार का रब है।
आकाशों और धरती में बड़ाई
उसी के लिए है, और वही
प्रभुत्वशाली, अत्यन्त
तत्वदर्शी है।”
(क़ुरआन, 45:36, 37)
A Well Wisher
Daud Kaleem Attar
(Bihar)

आंतरिक प्रयत्न, बेहतर परिणाम

समाधान



डॉ. प्रदीप कुमार

“जैव विविधता से परिपूर्ण हमारी धरती सदैव रचनात्मकता का संदेश देती है और इस रचनात्मकता से मनुष्य नई खोजों, आविष्कारों और अनुसंधानों द्वारा विकास के मार्ग पर बढ़ता जाता है। इस तरह धरती की सुंदर जैव विविधता का मानवीय विकास से गहरा संबंध है। इसलिए जैव विविधता के संरक्षण से मानव न केवल प्रकृति का सम्मान करता है, बल्कि वह स्वयं भी अपने भविष्य को संवारता है।”

-डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

महान वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम का उक्त कथन जैव विविधता की उपयोगिता और उसके संरक्षण के महत्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं।

उल्लेखनीय है कि हाल में ही सम्पन्न हुए संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन (कॉप-15) में कई तथाकथित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कहा गया कि समय कम है और काम ज़्यादा करना है, क्योंकि पारिस्थितिकीय परिस्थितियां विपरीत हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि 2030 तक दुनिया के कम से कम 30 प्रतिशत तटीय इलाक़े और समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण की कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि आज हम मात्र 17 प्रतिशत भूमि और लगभग 10 प्रतिशत समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण की कोशिशों में जुटे हैं। वैसे पहले भी कई तरह के लक्ष्यों के वादे किए जा चुके हैं।

सत्य यह है कि इस तरह के सम्मेलनों और गोष्ठियों से व्यावहारिक कुछ नहीं निकलता। इस बार भी जैवविविधता को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और मान कर चला गया है कि सभी स्रोतों से 200 अरब डॉलर जुटाए जाएंगे और विकासशील देशों को सालाना 30 अरब डॉलर देने की बात को दोहराया गया है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हिस्सों को प्राथमिकता देने की बात कही गई। यह भी कहा गया है कि खेती-बाड़ी में जो छूट लंबे समय से दी गई है, उसे कम किया जाए।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बार-बार इस तरह के सम्मेलनों और अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों से हम क्या पा रहे हैं? और पिछले दशकों से होने वाली

यह भी जानना आवश्यक है कि जितना ज़्यादा पानी होगा, जितने ज़्यादा वन होंगे, बेहतर मिट्टी होगी तो, परिस्थितियां जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होंगी। प्रकृति को बचाना है तो अपनी प्रवृति को पहले सुधारना होगा। हमें अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना चाहिए, विलासिताओं को त्याग कर ही शायद हम प्रकृति संरक्षक के बड़े वाहक बन सकते हैं।

लगातार गोष्ठियां किस बेहतर परिणाम की ओर पहुंच चुकी हैं? प्रकृति और पारिस्थितिकी दुनिया भर में अगर लगातार गिरती चली जा रही हो तो सवाल इस तरह के अंतरराष्ट्रीय गोष्ठियों के प्रति खड़ा होना ही चाहिए।

पृथ्वी का तापक्रम लगातार बढ़ रहा है और साथ ही हवा, पानी, मिट्टी की गुणवत्ता भी गिरती जा रही है। इसका अगर कोई समाधान छुपा है तो वो इसी समझ में छुपा है कि प्रकृति, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे जो भी समझौते, लेकिन ज़्यादा बड़ा समाधान आंतरिक उपायों से ही हो पाएगा। यह भी स्वीकार लेना चाहिए कि नई दिल्ली के पर्यावरण को लंदन में बैठकर ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आंतरिक प्रयत्न ज़्यादा महत्वपूर्ण और बेहतर परिणाम दे पाएंगे।

हवा, मिट्टी, जल और जंगल के हालात से हम भली-भांति परिचित ही हैं। सवाल यह भी है कि जंगली जीवों और लुप्तप्राय होने वाली प्रजातियों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का प्राथमिक उपाय क्या है? समस्या स्पष्ट रूप से हमारे सामने है, तो समाधान बाक़ी बचे जंगलों, तालाबों, नदियों के संरक्षण से ही संभव है।

यह भी जानना आवश्यक है कि जितना ज़्यादा पानी होगा, जितने ज़्यादा वन होंगे, बेहतर मिट्टी होगी तो, परिस्थितियां जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होंगी।

प्रकृति को बचाना है तो अपनी प्रवृति को पहले सुधारना होगा। हमें अपनी आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना चाहिए, विलासिताओं को त्याग कर ही शायद हम प्रकृति संरक्षक के बड़े वाहक बन सकते हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो देश के लगभग 20 प्रतिशत भाग में वन हैं। वनों की सुरक्षा ज़रूरी है। इसके लिए स्थानीय लोगों की भूमिका बहुत आवश्यक है। वनों को



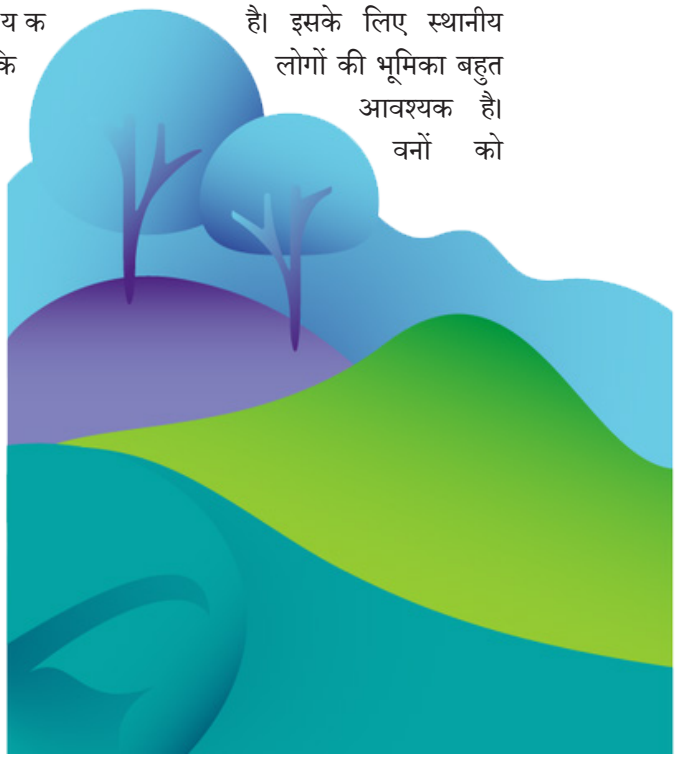

व्यावसायिक हाथों के सुपुर्द करना पर्यावरण के लिए गंभीर ख़तरा है। वनों के कटान का सिलसिला ब्रिटिश काल से ही उनके द्वारा बनाए क़ानूनों से शुरू हो गया था। इसी कारण वनों की अंधाधुंध कटाई से आज बहुत सारे वन समाप्त हो चुके हैं और उस क्षेत्र में पैदा होने वाली वनस्पतियों और जीव-जंतुओं का इस धरती से पलायन हो गया है।

इनके संरक्षण के लिए वर्तमान में जो क़ानून हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में पर्याप्त और कठोर क़ानून बनाए जाने की भी आवश्यकता है। गहन विचार-विमर्श और सोच-समझ कर ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, जो सही मायनों में प्रकृति का संरक्षण करने में कारगर हो सके। सभी तरह के जीव-जंतुओं का अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास ज़रूरी है, ताकि धरती हरी-भरी और उसका संतुलित अनुपात क़ायम रह सके। ऐसा न हो कि जलवायु का यह बदलाव हर किसी को इस धरती से उखाड़ फेंके।

सभी जीव एक-दूसरे पर निर्भर हैं और पारिस्थितिकी चक्र में परस्पर गुंथे हुए हैं। ऐसे में अगर भविष्य में धरती पर जैव विविधता को बचाने की दिशा में ठोस क़दम नहीं उठाए गए तो एक के



अभाव में दूसरे का बचना मुमकिन नहीं होगा।

वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् आगाह कर रहे हैं कि इसके संरक्षण की दिशा में जल्द ही क़दम न उठाए गए तो मनुष्य को इसकी बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है। हमें यह समझना होगा कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति से है न कि प्रकृति का अस्तित्व मनुष्य से है। लिहाज़ा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार के साथ-साथ नागरिकों को भी आगे आना होगा। इसका संरक्षण हम सभी पृथ्वीवासियों का सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए आंतरिक प्रयत्न ही सबसे बेहतर परिणाम दे सकते हैं। ■■

जैव विविधता के संरक्षण के लिए वर्तमान में जो क़ानून हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में पर्याप्त और कठोर क़ानून बनाए जाने की भी आवश्यकता है। गहन विचार-विमर्श और सोच-समझ कर ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, जो सही मायनों में प्रकृति का संरक्षण करने में कारगर हो सके।



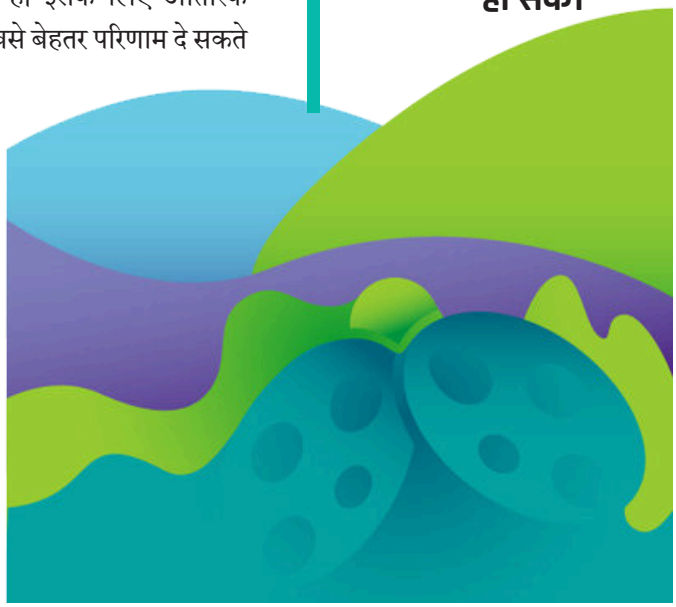

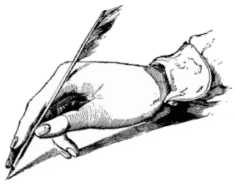

कविता

क़ुदरत की आवाज़

तुराज़

मैंने सहा भी है, और
देखा भी है मंज़र
उन ज़ख़्मों का
जो रोज़ करता है
मानव मुझ पर,

पर मैं चुप हूं
एक मूक बधिर-सी हूं
क्योंकि मैंने कोख में
पाला है उसको

श्रेष्ठ बनाया था उसको
सब जीवों में
कुछ भला, कुछ
मंगल करने को

सबका अच्छा हो,
संरक्षित भी हो और
संरक्षण भी जीवन का,
पर मैंने कुछ अद्भुत ही देखा

शस्त्र लिए वृक्ष पर चढ़ा वह
कालिदास-सा बन बैठा है
अपने ही गले में छुरी लगाए
वह कसाई-सा दिखता है।

करने चला है अपना भला
पर इस धरा को
क्षत-विक्षत कर रहा है
बंदर-सा मन लेकर
कभी शहर तो कभी जंगल में
नाच रहा है।
शांति की तलाश लिए
कस्तूरी मृग-सा भटक रहा है।

जीवन अमूल्य है
पढ़ता भी है वेद पुराण में
पर कोड़ियों में लुटा रहा है।

क्या पा लेगा कोई
जीवन का दांव लगाकर
क्या खाएगा कोई
प्रकृति का नाश कर कर

सब उजड़ा-सा है
पहाड़ , मैदान, नदी, नाले,
समंदर-पोरबंदर,
क्या चूसेगा ए मानव –
दीमक-सा मन लेकर,
बस एक पागलपन-सा है
मन के अंदर

पर मैं अब तक चुप हूं
एक उम्मीद लिए अपने बच्चे से
क्योंकि मैं एक मां हूं, क़ुदरत हूं,
पालनहार हूं.....।

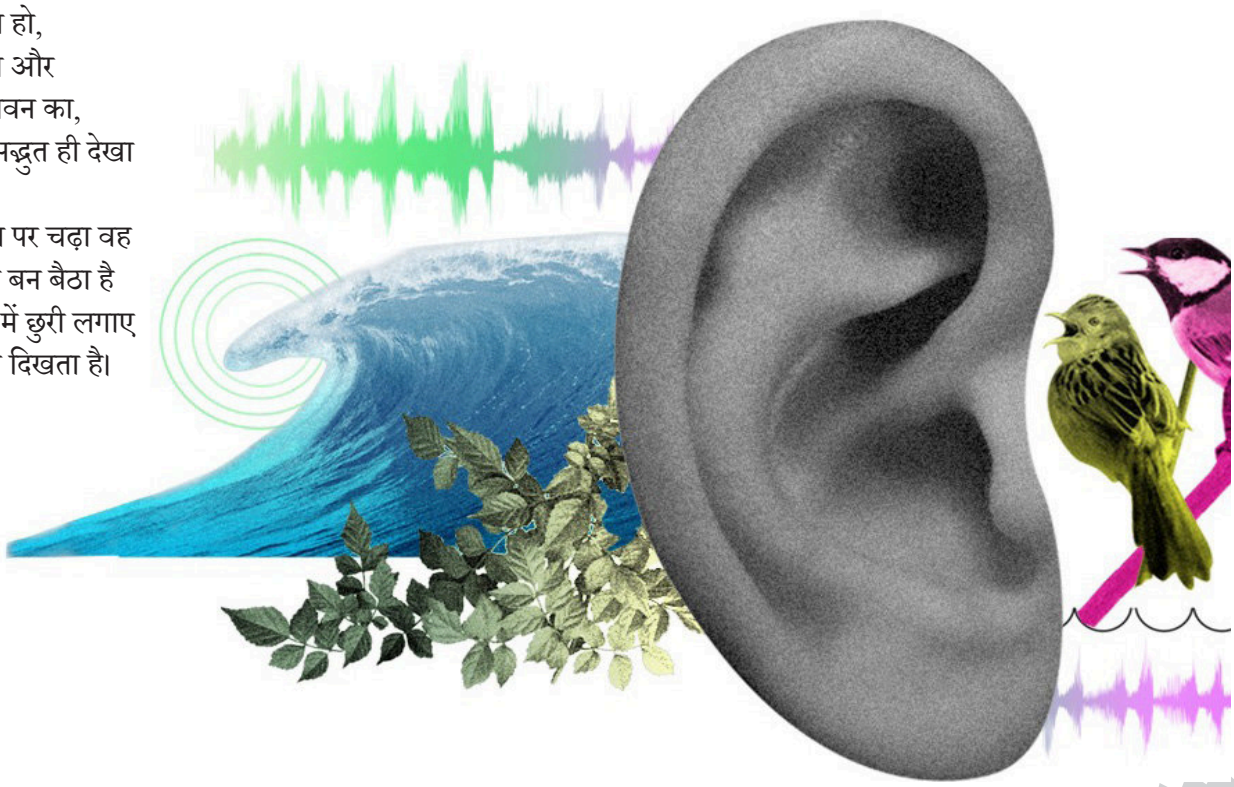



साइबर अपराध

सेंध हर जगह

समसामयिक

संपादन प्रभाग

बीते वर्ष नवम्बर माह में दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मरीज़ों और उनके तीमारदारों के साथ-साथ अस्पताल स्टाफ़ तथा डॉक्टरों में उस समय अफ़रा-तफ़री मच गई जब उन्हें पता चला कि अस्पताल का सर्वर हैक किया जा चुका है और डेटाबेस करप्ट हो गया है। एम्स के डॉक्टर अपने ई-सर्वर पर लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। मरीज़ों का मेडिकल रिकॉर्ड न देख पाने की वजह से आठ वर्ष पहले पूरी तरह से डिजिटल हुए भारत के इस सर्वोच्च स्वास्थ्य संस्थान के डॉक्टर बेबस नज़र आए। समाचारों के अनुसार, हैकर्स ने सर्वर बहाल करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में 200 करोड़ रुपये की फ़िरौती की मांग की। हालांकि पुलिस ने फ़िरौती की मांग से इन्कार किया।

साइबर अपराध मात्र भारत की समस्या नहीं है, लगभग हर देश की समस्या है। आज कोई भी व्यक्ति या देश साइबर स्पेस से ख़ुद को अलग नहीं कर सकता। आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। इंटरनेट से जीना आसान हो गया है। मोबाइल की एक क्लिक पर पूरी दुनिया हाज़िर है, लेकिन हम असुरक्षित भी होते जा रहे हैं। कोई भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में ताक-झांक कर सकता है। बैठे-बैठे बैंक खाते में डाका डाल सकता है।

हैकिंग, ट्रोलिंग, बुल्लिंग, हेट स्पीच, पोर्न की लत से लेकर बैंक फ्रॉड और स्कैम तक, साइबर क्राइम हर जगह है।

साइबर अपराध मात्र सामाजिक या आर्थिक अपराधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बन गया है। उल्लेखनीय है कि एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह सहित कई पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी का इलाज हो चुका है, और अब इन सभी का पर्सनल डेटा एम्स के सर्वर से हैक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीनेशन भी एम्स में हुआ था, जबकि एक बार तबीयत बिगड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह को यहीं एडमिट कराना पड़ा था।

किसी भारतीय अस्पताल पर साइबर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं थी। इसी प्रकार गत वर्ष नवम्बर में ही इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की वेबसाइट को 6000 बार हैक करने की कोशिश की गई। इसकी भी ख़बर आई कि तमिलनाडु के श्री सरन मेडिकल सेंटर के 1.5 लाख मरीज़ों का पर्सनल डेटा भी



हैकर्स ने डार्क वेब पर बेच दिया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी क्लाउडसेक के मुताबिक़ 2021 में पूरी दुनिया में हेल्थकेयर सेक्टर पर जो साइबर अटैक हुए हैं, उनमें भारत दूसरा सबसे बड़ा शिकार है। जिसके हेल्थकेयर सिस्टम पर सबसे ज़्यादा 7.7 फ़ीसदी साइबर अटैक हुए। अमेरिका पहले पायदान पर रहा, जहां के अस्पतालों पर 28 फ़ीसदी साइबर अटैक हुए। वर्ष 2022 के पहले चार महीनों में हेल्थ सेक्टर पर साइबर अटैक की संख्या, पिछले साल इसी दौरान हुए साइबर हमलों से 95.34 प्रतिशत ज़्यादा रही। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कंपनी इंडस फेस का दावा है कि दुनिया भर के उन अस्पतालों पर 10 लाख से ज़्यादा साइबर हमले हुए जिन्हें वो साइबर सुरक्षा मुहैया कराती है। इनमें 2.78 लाख साइबर हमले अकेले भारत के अस्पतालों पर हुए हैं।

एनसीआरबी 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष 50 हज़ार से भी अधिक साइबर क्राइम के केस भारत में रजिस्टर्ड हुए। हैकर्स ऑनलाइन चोरी डेटा से फ़िरौती या उन सूचनाओं को बेचकर कमाई तो करते ही हैं, लेकिन संगठनों और

हैकिंग से पीड़ित व्यक्ति को अपना सिस्टम बहाल करने के लिए काफ़ी रक़म भी ख़र्च करनी पड़ती है। हैकर्स जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए हैकिंग करते हैं। ऐसे साइबर हमलों के पीछे किसी न किसी देश का हाथ होता है। कई बार आतंकी संगठन या एंटी-सोशल, एंटी-नेशनल एलिमेंट हैकर्स को डेटा में सेंधमारी के लिए भी फंड करते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से साइबर अटैक और फ़िरौती मांगने की दर में तेज़ी आई है।

साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा को विभिन्न तरीक़ों से प्रभावित करते हैं, लेकिन भारत में अब तक कोई डाटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत सीईआरटी.इन को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई है। 2018 में डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप तैयार किया गया और 2020 में इसे सदन में पेश किया गया, लेकिन इसे फिर वापस ले लिया गया था।

अब पुनः 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022' को आम जनता के सुझाव के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है। वित्तीय अपराध या फ्रॉड को रोकने के लिए या रक्षा एवं गृह विभाग के महत्त्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुस्तरीय सुरक्षा (आंतरिक एवं बाह्य) की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि साइबर सुरक्षा के मामले में भारत विश्व में निचले पायदान के देशों के साथ खड़ा है।

इसका पहला कारण तो यह है कि साइबरस्पेस की महत्ता समझने के बाद भी इस मद में ख़र्च करने के लिए बजट बहुत ही कम है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि साइबर अपराध के बारे में न तो लोगों को समुचित समझ है, और न ही इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार ही किया जा रहा है।

जानकारों के अनुसार, सरकार या कोई निजी संगठन साइबर हैकिंग से



निपटने के लिए एथिकल हैकर्स की मदद लेते हैं। अब दुनियाभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एथिकल हैकिंग की पढ़ाई हो रही है। सर्टिफिकेशन के बाद कोर्स करने वालों को एथिकल हैकिंग की अनुमति मिल जाती है।

बहरहाल, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हेल्थ सिस्टम पर बढ़े साइबर हमलों से भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए? ग़ौरतलब है कि भारत सरकार ने 'आयुष्मान भारत' डिजिटल मिशन शुरू किया है। इसमें 14 अंकों का एक एकाउंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें व्यक्ति का पूरा हेल्थ डेटा होता है। इन नंबर को बीमा योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। सभी काम मरीज़ के आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल एकाउंट से होंगे, लेकिन यही सुविधा सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय भी बन गई है। इन एकाउंट्स को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से जोड़ा जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं में असुविधाओं से बचने के लिए उनका डिजिटिल किया जाना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीक़े से एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को निशाना बनाया गया, उसे देखते हुए हम सबके अलर्ट होने और सरकार को साइबर सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किए जाने का समय आ गया है। साइबर अपराध से लड़ने के लिए उचित बजट एवं सरकार की मज़बूत इच्छाशक्ति की ज़रूरत है, साथ ही मज़बूत डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट भी ज़रूरी है, तभी हम साइबर अपराधी से लड़ने के लिए तैयार हो पाएंगे एवं देश में साइबर हमले रोकने में सक्षम होंगे। ■■

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

एक संक्षिप्त परिचय

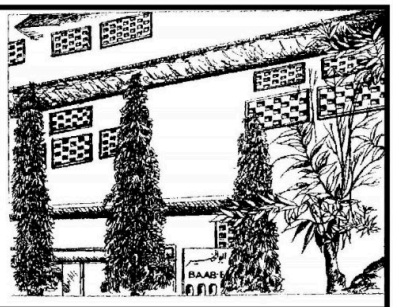

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी (Residential) इदारा

● **36** वर्षीय सेवाएं ● 21 विभाग **शिक्षा** :प्राथमिक से मैट्रिक तक **पत्राचार शिक्षा** (Distance Education) I.A., B.A., M. A. एवं Library Science (Blis) ● स्टडी सेन्टर-यतीमख़ाना इस्लामिया गया ● मंज़ूरशुदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी **शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा के साथ-साथ मैट्रिक (Matric)** ● 12 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा (Adult Educations) **वोकेशनल सेन्टर** (Vocational Centre) ● कटिंग और सिलाई : 11 बैच 103 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 7 बैच 65 छात्राओं ने Certificate हासिल की ● **बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड** 1993 ई॰ से **2022** ई॰ तक 102 अनाथ बच्चियों और 78 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● कंप्यूटर (Computer) की भी शिक्षा ● **वार्षिक ख़र्च** : 35 लाख रुपये से अधिक ● **आमदनी के स्रोत** : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● **इदारा 100** अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 20,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठाकर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : उदाहरणस्वरूप ● ज़कात ● सदक़ात ● अतियात ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदाएगी आदि ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,35,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाने और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना। नोट : ❶ यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किए जाते हैं और ऑडिट होता है। हर चीज़ खुली किताब की तरह है। ❷ इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिल-जुलकर रहा करती हैं । ❸ इस्लामी माहौल, खुला स्थान, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम।

चार बातें याद रखें: ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो सूद (Interest) के तौर पर बैंक से मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम लड़कियों की अशिक्षा और जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कियों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यतीम बच्चियां जिनके पिता का देहांत हो चुका है उनके भोजन एवं आवास के साथ-साथ एक बेटी की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं ❸ बाहरी छात्राओं के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल की भी व्यवस्था है। ❹ यतीम तालिबात का दाख़िला तालीम मअ तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

नोट: क़ौम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अनुरोध है कि क़ौम की यतीम बच्चियों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए रहनुमाई करें और तवज्जोह दिलाएं। शुक्रगुज़ार हूंगा।

इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना तआवुन का मुंतज़िर है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह इदारा माली मुश्किलात में घिरा हुआ है। दुश्वारी का सामना है। आमदनी घट के कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us
For New Bank Account Details

नोट: बाहर मुल्क के हज़रात अब डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Girls' Orphanage"

तरसीले ज़र व रावते का पता : Hon. General Secretary
The Gaya Muslim Girls' Orphanage
At. Kolowna, P.O. Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India
E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.in

Indian Donors : भारतीय चंदा देने वाले

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No. : 300402010007752
Bank IFS Code No : UBIN0530042
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)

नोट: हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

नोट: Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट: रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

इक़बाल अहमद ख़ान बानी व एज़ाज़ी जेनरल सेक्रेट्री - 09934480190

महिला अपराध

पुनरावृत्ति पर कैसे लगे विराम



ज्वलंत



जितेंद्र गौतम

दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाक़े में बीते माह हुई दिल दहला देने वाली घटना से राजधानी ही नहीं देशभर के लोग सकते में आ गए, जिसने भी इस घटना की तस्वीरें देखीं वो सिहर उठा। देर रात हुई इस घटना में आरोपियों ने एक युवती को लगभग दस किलोमीटर तक कार से घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस कांड में जो 5 आरोपी हैं, उनमें एक भाजपा का एक स्थानीय नेता भी है, जिसका नाम मनोज मित्तल है। घटना के समय मित्तल कार में मौजूद था।

यह घटना बर्बरता का भयावह उदाहरण तो है ही, निर्भया कांड के एक दशक बाद राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की असुरक्षा का क्षुब्ध कर देने वाला मामला भी है। मृतिका के शरीर पर क़रीब 40 ज़ख़्म पाए गए हैं और बताया गया है कि उसे इस क़दर घसीटा गया था कि उसके शरीर के अंदरूनी अंग दिख रहे थे। इस हादसे से एक बार फिर राजधानी दिल्ली में नागरिक सुरक्षा की असलियत सामने आ गई है। याद रखना चाहिए कि यह हादसा 31 दिसम्बर की रात को हुआ। नए साल के जश्न को देखते हुए राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए थी।

अगर पुलिस चुस्त-दुरुस्त होती तो क्या यह घटना घटित होने पाती? तथ्यों से पता चलता है कि उस रात सुल्तानपुरी से वह युवती कंझावाला तक लगभग 10 किलोमीटर कार से घसीटी जाती रही, लेकिन इस दौरान किसी भी पुलिस वाले की नज़र उस पर नहीं पड़ी। पुलिस निष्क्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण यह भी था कि पीसीआर पर पहली कॉल के लगभग 2 घंटे बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। यही नहीं इतनी बर्बर घटना के बाद भी पुलिस ने एफ़आईआर में



आरोपियों के ख़िलाफ़ हल्की धाराएं लगाईं। विडम्बना यह कि लंबे समय तक इस मामले में पुलिस अधिकारी सवालों से बचते रहे। इस मामले में दोषी लोग तो सख़्त सज़ा के हक़दार हैं ही, पुलिस प्रशासन की वह निष्क्रियता भी कम दोषी नहीं है, जिसके कारण असामाजिक तत्वों को एक युवती को घंटों तक अपनी कार से घसीटे जाने का दुस्साहस पैदा होता है।

इस मामले में सही दिशा में जांच ही आरोपियों को सज़ा दिलवा पाएगी। यदि पुलिस की जांच में कोई भी कोताही बरती गई तो अपराधी छूट सकते हैं, लेकिन जिस तरह इस मामले की एफ़आईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 304ए, 279 और 120बी दर्ज की गई, उससे तो यही लगता है कि दिल्ली पुलिस ने या तो इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया या जान-बूझकर तथ्यों की अनदेखी करती रही। पुलिस इसे मात्र एक दुर्घटना मान रही है, जबकि आपराधिक मामलों के जानकारों का मानना है कि यह एक सुनियोजित हत्या है।

सवाल यह भी उठ रहे हैं कि इस मामले में धारा 302 व अन्य धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं? क़ानून के जानकारों के अनुसार, इस मामले में पुलिस को धारा 302 व अन्य धाराओं को भी जोड़ लेना चाहिए था।

यह घटना बर्बरता का भयावह उदाहरण तो है ही, निर्भया कांड के एक दशक बाद राजधानी की सड़कों पर महिलाओं की असुरक्षा का क्षुब्ध कर देने वाला मामला भी है। मृतिका के शरीर पर करीब 40 ज़ख्म पाए गए हैं और बताया गया है कि उसे इस कदर घसीटा गया था कि उसके शरीर के अंदरुनी अंग दिख रहे थे। इस हादसे से एक बार फिर राजधानी दिल्ली में नागरिक सुरक्षा की असलियत सामने आ गई है।

इस मामले में कई पेंच ऐसे हैं जो पुलिस पर सीधा सवाल खड़े करते हैं। मिसाल के तौर पर पीड़िता के पोस्टमॉर्टम से पहले ही दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने मीडिया में बयान दिया कि यह मामला 'हत्या' का नहीं बल्कि 'दुर्घटना' का है। इसके साथ ही बलात्कार से भी इन्कार किया। पोस्टमॉर्टम से पहले पुलिस का ऐसा ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बयान क्या दर्शाता है? इस तरह का बयान मामले की जांच को ग़लत दिशा में ले जा सकता है।

ऐसे मामलों में सही ढंग से की गई शुरुआती जांच ही मामले की सच्चाई उजागर करती है। यदि शुरुआती जांच में ही कोताही बरती जाए तो सच उजागर कैसे होगा? इस मामले के चश्मदीद दीपक दहिया द्वारा 20 बार पीसीआर को फ़ोन करने पर भी पुलिस द्वारा फुर्ती नहीं दिखाई गई। इसके पीछे क्या कारण था? आरोपियों की गिरफ़्तारी के बाद भी कई घंटों तक

उनकी मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई? ऐसे तमाम सवाल हैं जो पुलिसिया जांच को कोताही के दायरे में लाते हैं।

हमारे देश में महिला अपराधों के प्रति उदासीनता और कोताही कोई नई या अनोखी बात नहीं है। महिला सुरक्षा से जुड़े ऐसे कई और सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना होगा। ये सभी सवाल पुलिसिया जांच को शक के दायरे में लाते हैं। मामला दस साल पुराने छावला रेप और हत्या का हो। बिल्किस बानो का हो। प्रियदर्शनी मट्टू का हो। दहेज उत्पीड़न के कारण बेटियों की रहस्यमयी मृत्यु का हो। महिलाओं के ख़िलाफ़ हुए इन अपराधों में पुलिस की प्राथमिक जांच अपराध के जड़ तक पहुंचने की अहम कड़ी होती है। प्राथमिक जांच ही अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचा सकती है। ज़रा- सी कोताही केस को ग़लत दिशा में मोड़ सकती है।



सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2007 और 2016 के बीच महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा व अपराधों के मामलों में 83 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। महिला अपराधों के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में आता है। भारत के मुक़ाबले अन्य देशों में महिला अपराध पर बहुत जल्द और कड़ी कार्रवाई होती है। महिला सुरक्षा और विकास को लेकर सरकार द्वारा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे लुभावने नारे तो ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे नारे क्या व्यावहारिक साबित हो पा रहे हैं?

दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जिस तरह देश भर में तूफ़ान मचा और फिर कड़े क़ानून बने उससे कुछ उम्मीद जागी थी कि कम से कम भविष्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक संवेदना और ज़िम्मेदारी का विकास हो सकेगा, लेकिन उसके बाद के वर्षों में महिलाओं का जीवन जिस तरह लगातार जोखिम और अपराध से दो-चार होता रहा और हाल में जिस तरह बिल्किस बानो या छावला रेप के आरोपियों को जांच की कमियों के चलते छोड़ दिया गया, उससे तो उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ ही नज़र आ रहा है।

एक महिला का सड़क पर निकलना ख़तरे से ख़ाली नहीं है? दूरदराज़ के इलाक़ों की हालत तो दूर, शहरों, महानगरों और यहां तक कि देश की राजधानी में भी अगर महिलाएं सुरक्षित और सहज ज़िंदगी को लेकर निश्चिंत नहीं हैं, तो यह किस तरह का पुलिस प्रशासन है? अगर अपराधियों के सामने चौकस क़ानून-व्यवस्था एक चुनौती हो तो वह महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध करने से पहले एक बार हिचकेगा ज़रूर। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक जागरूकता के समानांतर ही चौकसी के साथ क़ानूनी कार्रवाई में भी सख़्ती लाई जाए, ताकि महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों की पुनरावृत्ति पर विराम लगाया जा सके। ■■

दूरदराज़ के इलाक़ों की हालत तो दूर, शहरों, महानगरों और यहां तक कि देश की राजधानी में भी अगर महिलाएं सुरक्षित और सहज ज़िंदगी को लेकर निश्चिंत नहीं हैं, तो यह किस तरह का पुलिस प्रशासन है? अगर अपराधियों के सामने चौकस क़ानून-व्यवस्था एक चुनौती हो तो वह महिलाओं के खिलाफ अपराध करने से पहले एक बार हिचकेगा ज़रूर।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के अनमोल बोल

- वह मोमिन नहीं, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ देता हो। (बुख़ारी)
- मोमिन ऐसा नहीं होता कि ख़ुद पेट भर खाये और उसका पड़ोसी भूखा रहे। (मिश्कात)
- मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी उसे दे दो। (इब्ने माजा)
- अल्लाह उस पर रहम नहीं करता, जो लोगों पर रहम नहीं करता है। (मुस्लिम)
- जो नरमी से महरूम हुआ, वह ख़ैर से महरूम हुआ। (मुस्लिम)
- तुम में बेहतर वह व्यक्ति है, जिसका व्यवहार अच्छा हो। (बुख़ारी)
- ज़ुल्म क़यामत के दिन ज़ालिम के लिए सख़्त अंधेरा बनेगा। (मुत्तफक)
- ताक़तवर वह नहीं, जो दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताक़तवर वह है जो ग़ुस्से के वक़्त अपने आपको क़ाबू में रखें। (बुख़ारी)
- जो तुम से रिश्ता काटे, उससे रिश्ता जोड़ो।
- मैं इसलिए भेजा गया हूं कि अच्छे व्यवहार को पूर्ण कर दूं। (अहमद)
- जिसके अन्दर अमानत नहीं, उसके अन्दर ईमान नहीं। (मिश्कात)
- शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मुस्लिम के लिए अनिवार्य है। (इब्ने माजा)
- तुम अपने भाई की मुसीबत पर ख़ुशी का इज़हार न कर। (तिरमिज़ी)
- अल्लाह की लानत हो, रिश्वत लेने और देने वाले पर। (बुख़ारी)
- मांगने वाले को कुछ देकर ही वापस किया करो। (मिश्कात)
- अपने भाई के लिए वही पसन्द करें, जो अपने लिए पसन्द करता हो। (मुस्लिम)
- अपने आपको बुरे गुमान से बचाओ। क्योंकि बुरे गुमान से कही गई बात सबसे झूठी होती है। (बुख़ारी)
- जिसने एक बार अपनी ज़िन्दगी में अपनी मां को हंसाया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई।

With best compliment from

ESHAN HOSPITAL AND MODERN BUILDER

त्रासदी से कम नहीं ठंड से मौतें



सरोकार



नईम अलहिन्दी

सर्दी का मौसम अनेक लोगों को सैर-सपाटे का आनंद उठाने का मौक़ा देता है तो बड़ी तादाद में ग़रीबों और बेघरों को सताने का भी काम करता है। मध्यम वर्ग के लिए भी घना कोहरा परेशानी का सबब बनता है। बेघर लोग, जो गर्मी में कहीं भी सो लेते हैं, जाड़े में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

बीते दिनों राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के अधिकांश इलाक़े भीषण ठंड की चपेट में रहे। देश भर से बड़ी संख्या में ठंड से होने वाली मौतों की ख़बरें आईं। हमारे देश में ठंड की जानलेवा चुनौती का सामना करने वाले लोगों की तादाद लाखों में है। सवाल है कि अगर इन निराश्रित लोगों के सामने अभाव एक लाचारी है, तो एक कल्याणकारी मूल्यों पर चलने वाली लोकतांत्रिक सरकार की क्या ज़िम्मेदारी बनती है?

द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जनरल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, भारत में हर साल ठंड से मरने वालों की संख्या लगभग 6.55 लाख है। यहां यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारी सरकारों की नज़र में बेहद ग़रीब लोगों के लिए क्या जगह है और उनके लिए बनाई नीतियों और समाज कल्याण कार्यक्रमों की ज़मीनी हक़ीकत क्या है?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2022 में भारत में ठंड के कारण 2,227 मौतें हुईं। ये पिछले तीन सालों में सबसे ज़्यादा है। आईएमडी द्वारा जारी किए गए पहले के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में मरने वालों की संख्या 1,750 थी और 2020 में भारत में 1,338 लोगों की मौत हुई थी। ठंड की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ों का

सामना वे लोग करते हैं, जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं होती।

एक अनुमान के मुताबिक़ राजधानी दिल्ली में वर्तमान में दो लाख से अधिक लोग बेघर हैं। यहां भी ठंड से मौतों की ख़बरें आईं। यह शर्मनाक है कि देश की राजधानी में ठंड से लोगों की मौत हो जाए। वैसे यह हर बार की दारुण कथा है। पिछले वर्ष भी एक स्वयंसेवी संस्था सेंटर फॉर होलिस्टक डेवलपमेंट ने दावा किया था कि 1 जनवरी से 28 जनवरी तक दिल्ली में कुल 172 लोगों की मौत ठंड से हुई। इससे पहले वर्ष 2019 में भी बेघरों पर सर्दी का सितम सबसे ज़्यादा पड़ा था। उस वर्ष एक महीने के दौरान 109 बेघरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। दिल्ली देश की राजधानी है और अगर यहां हालत यह है तो देश के बाक़ी हिस्सों में ऐसे बेघर लोगों की मुश्किलों का सिर्फ़ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है।

हर साल सर्दी में सरकारें बेघर लोगों के लिए रैन बसेरा या आश्रय मुहैया कराने का आश्वासन देती हैं। कुछ तात्कालिक उपाय किए भी जाते हैं। पर लगता है कि इस तरह की औपचारिक गतिविधियों का असर सीमित ही रहता है। वरना क्या वजह है कि राहत पहुंचाने के तमाम दावों के बावजूद ठंड की मार से मरने वालों की तादाद चिंताजनक आंकड़े तक पहुंच जाती है।

लगभग 10 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सभी राज्य सरकारों को साफ़ शब्दों में निर्देश दिया था कि कड़ाके की ठंड की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकारें बेघर लोगों के बचाव के लिए रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था करें, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह के हर मामले में औपचारिकता पूरी कर लेने को सरकार काफ़ी मानती है। ग़रीबी और अभाव से दो-चार लोगों की मुश्किलों का हल सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं हो पाता है।

यह बेवजह नहीं है कि अमूमन हर साल कड़ाके की ठंड की मार से काफ़ी तादाद में लोगों की जान चली जाती है। जबकि अकेले पर्याप्त रैनबसेरों का इंतिज़ाम ही बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह में



जाने से बचा सकता है। राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य इलाक़ों से भीषण ठंड की चपेट में आकर लोगों की मौतें कई सवाल खड़े करती हैं। सरकार की ओर से यदि बचाव के पुख़्ता इंतिज़ाम किए जाते तो बड़ी हद तक ठंड से होने वाली मौतों को टाला जा सकता था। इसलिए ठंड के मौसम में सरकार को बचाव के लिए की जाने वाली तैयारियों को किसी भी प्रकार नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए।

सरकार को बेघरों के लिए रैनबसेरों की पर्याप्त व्यवस्था करनी होती है। बहुत से लोग रैनबसेरों से वंचित रह जाते हैं। ठंड इनके लिए जानलेवा साबित होती है। लिहाज़ा, सरकार को चाक-चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को यह भी चाहिए कि वह इन लोगों के लिए रहने, खाने और दवाओं इत्यादि की ठोस व्यवस्था करे ताकि ठंड किसी की जान न ले सके।

रैनबसेरों और फुटपाथ पर सोने वाले उन ग़रीब और अन्य मज़लूमों के लिए अलाव, रात में रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन और अन्य सुविधाओं का ख़याल रखना सरकार की पहली ज़िम्मेदारी होती है।

ज़िला प्रशासन को चाहिए कि वह बेघरों के बारे में जानकारी एकत्रित करे। उन इलाक़ों की पहचान ज़रूरी है, जहां ज़्यादा संख्या में लोग फुटपाथ और खुले में जीवन बसर करते हैं। ठंड से होने वाली मौतों से लोगों को बचाने के लिए सरकारों को ज़्यादा मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ राहत और बचाव के उपाय करने होंगे, ताकि एक भी व्यक्ति की मौत मौसम की वजह से न हो।

सरकार एवं प्रशासन के अलावा एक इन्सान के तौर पर हम सबका भी कर्त्तव्य है कि हम उन वंचितों की सहायता करें जो स्वयं को सर्दी की मार से बचा पाने में असमर्थ हैं। कंबल या गर्म कपड़े मुहैया करा कर भी बहुत सारे लोगों का जीवन आरामदेह बनाया जा सकता है। एक सभ्य और संवेदनशील समाज के लिए मानवीयता का तक़ाज़ा यही है। ■■



जर्मनी से क़तर तक फ़ीफ़ा की बदलती पहचान

परिदृश्य



औरिया मक़बूल जान

जर्मनी का शहर कोलोन, जहां 2006 के फ़ुटबाल वर्ल्ड कप की रौनक़ें बरपा थीं, उस वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए दुनिया-भर से हर रंग, नस्ल और उम्र की 40 हज़ार महिलाएं लाई गई थीं। इन स्मग्ल की हुई जिस्म फ़रोश औरतों से कोलोन शहर के बीचों-बीच एक बारह मंज़िला वेश्यालय या देह व्यापार का अड्डा (BROTHEL) आबाद किया गया, जिसका नाम पाश्चा (PASCHA) था। उस वेश्यालय का शानदार उद्घाटन वर्ल्ड कप के आरंभ वाले दिन 9 जून 2006 ई. को किया गया।

इसी तरह जर्मनी का हर वह शहर आबाद किया गया, जहां फ़ुटबाल वर्ल्ड कप का कोई मैच होना था। 'पाश्चा' ने अपने इस वेश्यालय पर उन सभी टीमों के देशों के झंडे भी लगा रखे थे और इसके साथ-साथ अन्य औरतों के साथ एक हिजाब वाली महिला का भी पोस्टर था। उसके ख़िलाफ़ एक दिन 30 के क़रीब मुसलमान नौजवान जो चाक़ुओं और डंडों से लैस थे, प्रतिरोध करते हुए आए, जिनसे भयभीत होकर वेश्यालय के प्रबंधन ने सऊदी अरब और ईरान के झंडों को स्याह कर दिया, क्योंकि उनपर कलिमा-ए-तय्यिबा और अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और साथ ही हिजाब वाली औरत का पोस्टर भी उतार दिया।

जर्मनी में फ़ुटबाल के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए इतने बड़े पैमाने पर जिस्म-फ़रोश औरतों की स्मगलिंग का विशेष प्रबंध एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने इस तथ्य को उजागर कर दिया कि सभ्य कहलाने वाला पश्चिमी जगत् जो मानव तस्करी पर अन्य कमज़ोर देशों का आर्थिक बहिष्कार तक करता है, वह कैसे अपनी भोगवादी और

यौन इच्छाओं की तृप्ति के लिए दुनिया-भर की औरतों को बुलाकर एक माह के लिए बाज़ार सजाता है। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में खेलों के विश्व स्तरीय मुक़ाबलों और देह व्यापार के बाज़ारों के संबंध पर अनगिनत शोध शुरू हुए। यहां तक कि अमेरिका की यूनीवर्सिटी ऑफ़ नेब्रास्का ने इस पर एक विश्व कान्फ्रेंस बुलाई जिसमें अमेरिका की लोकसभा की वैश्विक संबंधों की कमेटी की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई, जिसका शीर्षक था, "जर्मनी वर्ल्ड कप के जिस्मफ़रोशी के अड्डे : 40 हज़ार औरतें और बच्चे मानव तस्करी की वजह से शोषण के ख़तरे में"। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न यूनीवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ लॉ की प्रतिष्ठित मैगज़ीन में 2008 ई. में एनी मेरी टैवला ने जर्मनी के इस फ़ुटबाल टूर्नामेंट में लैंगिक स्मग्लिंग (SEX TRAFFICKING) को बुनियाद बना कर दुनिया-भर में आयोजित होने वाले खेलों के मुक़ाबलों का यौन स्मगलिंग के साथ संबंध का जायज़ा लिया। उसके अनुसार खेलों के ये बड़े आयोजन जब किसी देश में सजाए जाते हैं तो उस देश में मौजूद जिस्म-फ़रोश औरतों का कारोबार चमक उठता है और दुनिया-भर से औरतों को वहां लाने के लिए जातिगत स्मगलिंग का धंधा भी ख़ूब चलता है। उस रिपोर्ट में यह भयानक सच्चाई भी सामने आई कि यूरोप के पांच देश ऐसे हैं जहां पूरे साल दुनिया-भर से औरतें देह व्यापार के लिए स्मग्ल करके लाई जाती हैं।

इसी रिपोर्ट ने बताया कि जर्मनी में हर साल औसतन एक हज़ार लड़कियां यौन तृप्ति के लिए लाई जाती हैं। जर्मनी में देह व्यापार के कारोबार से वार्षिक 19 अरब डॉलर की आय होती है।

2008 ई. में चीन में ओलम्पिक और 2010 ई. में दक्षिण अफ़्रीक़ा में वर्ल्ड कप हुआ तो वैसे ही बाज़ार सजे, देह व्यापार हुआ। लेकिन अब उसका ढंग और तौर-तरीक़ा ऐसा किया गया कि यह मीडिया में रिपोर्ट न हो सके।

क़तर में 2022 ई. के वर्ल्ड कप का आरंभ हो चुका है। इस विश्व मुक़ाबले के लिए यों तो तैयारी कई साल से जारी थ ी और अनगिनत प्लाज़ा और होटल निर्मित हो रहे थे। लेकिन क़तर के शासकों ने जिस तरह इस वैश्विक मुक़ाबले को सुरा-सुन्दरी से पाक किया है, इसकी मिसाल इस्लामी दुनिया में भी नहीं मिलती। क़तर में फ़ुटबाल के इस टूर्नामेंट में पहला अहम आदेश 13 अप्रैल 2022 ई. को स्कियोरिटी के प्रमुख अब्दुल्लाह अन-नसरी ने उस वक़्त जारी किया जब उन्होंने स्टेडियम में समलैंगिकों (LGBT) के लिए अलग स्टैंड देने और अपना झंडा लगाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस पर इंग्लैंड की मशहूर टीम THREE LOINS ने बायकॉट का एलान किया, तो क़तर सरकार ने साफ़ जवाब दिया कि आपको अगर समलैंगिकता का प्रचार करना है तो उस समाज में जाकर करें जहां वह स्वीकार्य है।

क़तर हुकूमत ने उनसे सिर्फ़ इतना ही कहा कि क्या आप दुनिया के किसी देश में खिलाड़ियों को कोई ऐसी हरकत करने की इजाज़त देंगे जो उनके कल्चर में सबसे नापसंदीदा समझी जाती हो। 'फ़ीफ़ा' ने जवाब दिया, नहीं, तो क़तरी अधिकारियों ने उनसे कहा कि हमारे यहां शराब और देह व्यापार दोनों अत्यंत घृणित कार्य समझे जाते हैं।

टूर्नामेंट के आग़ाज़ तक 'फ़ीफ़ा' के प्रबंधक और क़तर सरकार के बीच बहस चलती रही कि वर्ल्ड कप के दौरान शराब की ख़रीद-बिक्री हो सकती है। लेकिन क़तर की सरकार ने आरंभ से ठीक एक दिन पहले यह फ़ैसला किया है कि टूर्नामेंट के दौरान जो पेय पदार्थ भी बेचे जाएंगे उनमें 'अलकोहल' नहीं होगा। यह ख़बर उस वक़्त प्रसारित हुई जब हज़ारों प्रशंसक क़तर पहुंच चुके थे। वे हज़ारों बैनर और टेंट जो बियर बनाने वाली मशहूर कंपनी बडवाइज़र (BUDWEISER) ने लगाए थे, ख़त्म कर दिए गए, हालांकि यह कंपनी टूर्नामेंट के स्पॉन्सरों में शामिल है और हर टूर्नामेंट के लिए साढ़े सात करोड़ डॉलर देती है। 'फ़ीफ़ा' के प्रबंधकों ने क़तर की सरकार के सामने सरेंडर कर दिया।

क़तर हुकूमत ने उनसे सिर्फ़ इतना ही कहा कि क्या आप दुनिया के किसी देश में खिलाड़ियों को कोई ऐसी हरकत करने की इजाज़त देंगे जो उनके कल्चर में सबसे नापसंदीदा समझी जाती हो। 'फ़ीफ़ा' ने जवाब दिया, नहीं, तो क़तरी अधिकारियों ने उनसे कहा कि हमारे यहां शराब और देह व्यापार दोनों अत्यंत घृणित कार्य समझे जाते हैं।

■■

दानी कौन ?



लघुकथा

सर्द रात में एक आदमी अपनी बीवी के साथ अपने दोस्त के यहां से लौट रहा था।

मियां-बीवी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख उस आदमी का दिल भर गया।

उसने गाड़ी रोक दी।

बीवी ने शौहर को हैरानी से देखते हुए कहा....क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने...??

वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है, इसलिए गाड़ी रोकी है।

तो–?

शौहर बोला,...गाड़ी में जो कंबल पड़ा है, उसे दे देते हैं।

क्या ? वो कंबल - आप भी नां, इतना महंगा कंबल इसको देंगे? अरे वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा, ये ऐसे ही होते हैं।

शौहर मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुज़ुर्ग को दे दिया।

बीवी बहुत ग़ुस्से में आ गई।

दोनों फिर घर की ओर चल पड़े।

अगले दिन भी बड़े ग़ज़ब की ठंड थी।

आज भी शौहर और बीवी एक पार्टी से लौट रहे थे तो अचानक बीवी ने कहा, चलिए जी एक बार देखें कि कल रात वाले बूढ़े का क्या हाल है ?

शौहर ने वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वहीं था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था।

वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था।

बीवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखा! मैंने कहा था न कि वो कंबल उसे मत दो, इसने ज़रूर बेच दिया होगा।

दोनों कार से उतर कर उस बूढ़े के पास गये।

बीवी ने तंज़ करते हुए पूछा क्यों बाबा! कल रात वाला कंबल कहां है? बेचकर नशे का सामान ले आये क्या...?

बुज़ुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था।

बुज़ुर्ग बोला, बेटा वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं-कहीं से फटे हुए हैं, लोग भीख देते वक़्त भी गंदी नज़रों से देखते हैं, ऊपर से इतनी ठंड! मेरे पास कम से कम यह पुरानी चादर तो है, उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया।

बीवी हतप्रभ-सी रह गयी, अब उसकी आंखों में आंसु थे, वो धीरे से आकर शौहर से बोली, चलिए!

घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को दे भी देते हैं।

दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने आपको देने वालों में रखा है, इसलिए जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। इंसानियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप यह सोचकर चुप मत बैठिये कि नशेड़ी है सुबह बेचकर पी जाएगा, वह कुछ भी करे फ़िलहाल वह ठंठ से कांप रहा है, खुले आसमान में है, इसलिये आप उसके कर्मों की चौकीदारी करने की बजाय उसे कंबल, स्वेटर, जैकेट देकर अपनी इंसानियत और ज़िम्मेदारी को पूरा करें।

ऐ ईमान वालों, ख़र्च करो उन चीज़ों से जो हमने तुमको दी हैं और उस दिन के आने से पहले जिसमें न लेन-देन है और न मित्रता है और न सिफ़ारिश। और जो अवज्ञाकारी हैं, वही हैं अत्याचार करने वाले। (क़ुरआन 2:254)

जो लोग अपनी सम्पत्ति अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं, उनका उदाहरण ऐसा है जैसे एक दाना हो जिससे सात बालियां पैदा हों, हर बाली में सौ दाने हों। और अल्लाह बढ़ाता है जिसके लिए चाहता है। और अल्लाह बड़ा समाईवाला, जानने वाला है।

(क़ुरआन, 2:261)

जो लोग अपनी पूंजी अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करते हैं, फिर वह ख़र्च करने के बाद न तो एहसान जताते हैं और न कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए उनके पालनहार के पास बदला है। और उनके लिए न कोई भय है और न वे दुखी होंगे।

(क़ुरआन, 2:262)

निस्सन्देह दान देने वाले मर्द और दान देने वाली महिलाएं। और वह लोग जिन्होंने अल्लाह को ऋण दिया, अच्छा ऋण, तो उनके लिए बढ़ाया जायेगा और उनके लिए सम्मानित प्रतिदान है।

(क़ुरआन, 57:18)

जो आदमी सदक़े का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह उसकी दौलत को बढ़ा देता है। (मुस्नदे अहमद : 9624)

'माल को थैली में बंद करके न रखना, वरना अल्लाह तआला भी उसके ख़ज़ाने में तुम्हारे लिए बंदिश लगा देगा। जहां तक हो सके लोगों में ख़ैरात तक़सीम किया करो।'

(सही बुख़ारी :1434)

ख़ैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिज़्क़ भी रोक दिया जाएगा। (बुख़ारी)

सदक़ा बुराई के 70 दरवाज़े बंद करता है। (तबरानी : 4402)

■■

"ईश्वर पर दृढ़ आस्था के साथ अडिग रहें, अच्छे कर्म करते रहें, जिस चीज़ से रोका गया है रुके रहें, ईश्वरीय आदेश को मानें, ईशपरायणता के साथ उपकार की नीति अपनाए रखें, तो ईश्वर ऐसे सुचरित्र लोगों से बहुत प्रेम करता है।"

(कुरआन,5/93)

with best compliment from

Nasir Ali [Kolkata, WB]

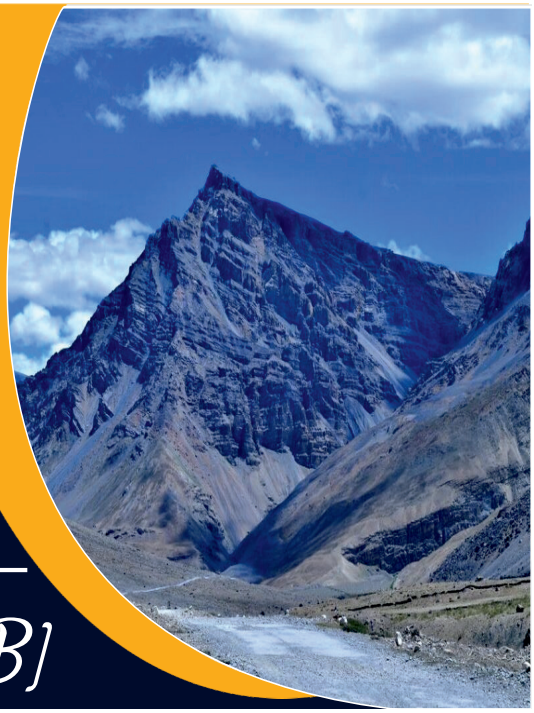

निवारण

कहानी



घनश्याम रंजन

बस जल्दी-जल्दी भर रही थी इस बात से मैं ख़ुश था कि झटपट पूरी भर जाए तो कुछ मिनट पहले ही चल पड़ेगी। फिर भरी हुई बस को रास्ते में सवारियां भरने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। मैं जल्दी ही दिल्ली पहुंच जाना चाहता था। करनाल से दिल्ली के लिए यह पहली बस थी। दुकानों और दफ़्तरों के समय से पहले पहुंचा देती थी। शेष सवारियां भी मेरी तरह जल्दी में लग रही थीं।

मेरी बगल में एक ढली उम्र का किसान बैठा हुआ था। मेरा ध्यान बस के दरवाज़े पर और बाहर की रौनक़ की ओर था। मैं उसकी ओर तभी मुख़ातिब हुआ जब मुझे पढ़ा-लिखा जानकर उसने बातें पूछनी शुरू कर दीं।

–यह बस कितने बजे चलेगी यहां से?

–छह बजे।

–इस समय क्या बजा है?

–बस छह बजने ही वाले हैं।

–पानीपत कितने समय तक पहुंच जाएगी?

–पौन घंटे में।

–अड्डे से अफ़सरों के रहने का स्थान कितनी दूर है? मैं पहुंच जाऊंगा वहां?

–पास ही में है। मैं तुम्हें वहां बता दूंगा।

–मुझे उन्होंने सात बजे बुलाया है। आपकी मेहरबानी से पहुंच ही जाऊंगा। मैं रात को अड्डे पर आ गया था। कहने लगे, सुबह बस जाएगी तो तू उससे चला जाना। समय से पहुंचा देगी।

उसने बताया कि पानीपत में उसकी पेशी की तारीख़ थी। चकबंदी के बड़े अफ़सरों के सामने उसने अपील कर रखी थी। अफ़सर रहता तो अंबाले में था, पर दौरे पर पानीपत आया हुआ था। उस इलाक़े में जिस-जिसने अपील की हुई थी उन सबको उसने वहीं बुलाया था।

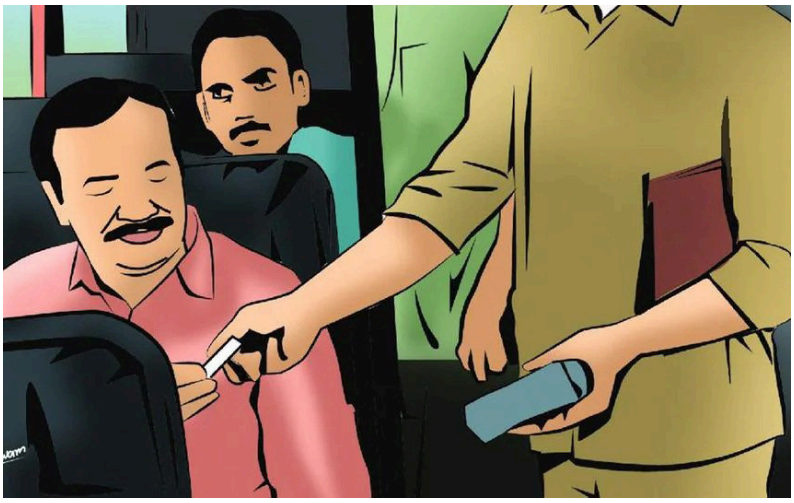

'मुझे ख़राब ज़मीन दे दी।' उसने कहा, कहते हैं कि तेरा हिस्सा यहीं आता है और किसको यहां पटकें। घटिया ज़मीन सस्ती मिलती है। तुझे बहुत-सी दे दी है और क्या चाहिए? पर वहां होता ही कुछ नहीं है, मुझे बहुत का क्या करना है? गांव में मैं कमज़ोर पड़ता हूं। लड़का भी अभी कोई तगड़ा नहीं है। पहले लड़कियां ही हुई हैं। अब जाकर लड़का हुआ है,

अभी बालक ही है। गांव में कोई मेरा साथ नहीं देता। इसी लिए मुझे यह रगड़ा लग गया है। अब देखो यह अफ़सर क्या निर्णय लेता है। कहते हैं इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती।

'पर चकबंदी का सुना है कि यह नियम है कि जहां पर किसी का बड़ा भू-भाग होता है वहीं सारी भूमि इकट्ठा करनी होती है।'

'वह तो ठीक है, पर मेरे चार स्थान पर छोटे-छोटे टुकड़े थे। यहां सबसे ख़राब टुकड़ा था, इससे लगी सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी है। गांव वाले कहते हैं कि सब्र करके बैठा रह। अब सारे गांव को परेशान करेगा। सबको नए सिरे से कठिनाई में डालेगा। बड़ी मुश्किल से तो यह काम समाप्त हुआ है। लोगों को आराम से खेतीबाड़ी करने दे। तू भी रुखी-सूखी खाता रह। दातों तले जीभ दबा ले। संवारेगा तो धीरे-धीरे ज़मीन सुधर जाएगी। काफ़ी ज़मीन मिल गई है और क्या चाहिए। पर मेरे लिए तो वह ज़मीन बेकार है। वकील किया है देखो क्या होता है।'



'ठीक ही हो जाएगा।' मैंने उसे ढांढस बंधाया। बस में अब बहुत भीड़ हो गई थी, पर भीड़ से ज़्यादा अफ़रा-तफ़री थी। आज सोमवार था। इतवार की छुट्टी होने के कारण बहुत से लोग दिल्ली से बाहर आए हुए थे, जो जल्दी वापस जाना चाहते थे। दोनों दरवाज़ों से कई सवारियां अंदर आने का प्रयत्न कर रही थीं। पर अंदर सभी सीटें भर गई थीं। फिर भी वह दरवाज़े से हट नहीं रही थीं। कोई तगड़ा आदमी धक्का मारकर भीतर आ जाता। फिर जगह न देखकर पीछे हो जाता।

दरवाज़े पर खड़े लोग बस में आने के लिए जितने बेसब्र थे, उतने ही बस में बैठे लोग बस के चलने के लिए थे। कंडक्टर को बस चलाने के लिए आवाज़ें दे रहे थे।

'बस अब और कोई सीट नहीं है।' कंडक्टर ने चलने की तैयारी करके दरवाज़े पर खड़े लोगों से कहा-'सीट क्यों नहीं है? हम टिकट लिए हुए हैं।'

'टिकटें ज़्यादा काट दी हैं क्या आज?' कंडक्टर ने टिकट काटने वाले बाबू को आवाज़ दी। सोमवार है, अगर चेकिंग हो गई तो जुर्माना कौन भरेगा?

'नहीं पूरी हैं एक भी ज़्यादा नहीं काटी है।'

बाबू ने काग़ज़-पत्तर कंडक्टर के हाथ में पकड़ाते हुए कहा।

'तो फिर कई आदमी बिना टिकट अन्दर आ गए हैं।' कंडक्टर ने जैसे माफ़ी मांगते हुए कहा, फिर ऊंची आवाज़ में जैसे बस की दीवारों से बोला, जो बिना टिकट के बैठे हैं, कृपया नीचे उतर लें। 'टिकट वाले बेचारे बाहर खड़े हैं।'

कोई सवारी नहीं हिली। यदि टिकट धारी सवारियां बाहर न खड़ी होतीं तो बस चलाना कठिन था। सीटों के बीच का रास्ता सामान से अटा पड़ा था। एक बुढ़िया इस रास्ते के बीच में ही बैठ गई थी।

'माई उठकर सीट पर बैठ जाओ।' कंडक्टर ने कहा बेटा अगर सीट हो तो पैरों में बैठने का भला मुझे कोई शौक़ है?

एक स्त्री ने अपने तीन बच्चों समेत दो सवारियों वाली सीट घेर ली थी। दो बच्चे तीन साल से छोटे थे। इसलिए टिकट एक का ही लिया था।

'बच्चों को गोद में ले लो। आधी टिकट के लिए कोई सीट नहीं है।' कंडक्टर बोला।

एक बच्चे को बूढ़ी माई ने गोद में ले लिया और दो को उनकी मां ने, और इस प्रकार रास्ते से उठकर माई सीट पर हो गई।

पर गाड़ी चलने का अभी कोई आसार नहीं था। बिना टिकट वाले लोग उठने का नाम नहीं ले रहे थे।

'अपना-अपना टिकट निकालो।' कंडक्टर ने आवाज़ दी और आगे बैठे एक आदमी की ओर हाथ बढ़ाया।

'टिकट तो अभी लेना है।' सवारी ने विनम्रता से कहा।

'नीचे उतर कर लो फिर। बेकार

में बस को लेट किए जा रहे हो। चलने भी दोगे इसे कि झगड़े में सारा दिन गंवा दोगे?' कंडक्टर ने झिड़की दी।

'जल्दी जाना था। सामान ऊपर पड़ा है।'

'नीचे उतर कर जल्दी से उतरवा लो। नहीं तो दिल्ली चला जाएगा। टिकट नहीं लिया, कुछ नहीं किया और सामान ऊपर रखवा दिया।

बेटिकट सवारियों के कान खड़े हो गए। एक-एक करके खिसकने लगे। छत से सामान उतारने की झड़प सुनाई देने लगी। सीटों के बीच में पड़ा सामान कुछ सीटों के नीचे और कुछ छत के ऊपर लगवा दिया गया। फिर भी एक सवारी का अंतर रह गया।

एक नई बैठी सवारी ने कंडक्टर से पूछा, 'तुम अपना टिकट दिखाओ।'

टिकट पिछली गाड़ी का था।

'यह तो साढ़े छह वाली का है।'

'इसका हमें क्या पता।'

'इस पर बस का नंबर लिखा हुआ है। नीचे उतर कर उसमें बैठ जाओ। वह पीछे खड़ी है। फिर उसने खिड़की के पीछे बैठे बाबू से कहा, 'अभी से नई गाड़ी के टिकट काटने शुरू कर दिए। सवारियां इधर बढ़ी चली आ रही हैं।'

'तुम्हें तो आज बस अड्डे से बाहर निकालना ही नहीं है जैसे। हम सारे काम रोक दें क्या? पांच मिनट लेट हो गए।'

'बस हो गया काम ख़त्म। चलते हैं अब। 'कंडक्टर ने टेढ़ा मुंह बनाकर कहा और बस चलाने के लिए सीटी मार दी।

'रोक के... रोक के...' एक सूटेड-बूटेड आदमी ने ऊंची आवाज़ में कहा और उछल कर सीट से दूर खड़ा हो गया। 'क्या बात हो गई अब।' कंडक्टर ने आश्चर्य से पूछा। 'यहां किसी ने उल्टी की है। मैं नहीं बैठ सकता यहां पहले इस जगह को साफ़ करवाइए।'

'उल्टी किसने कर दी।' कंडक्टर ने अज्ञानता दर्शाते हुए कहा। शायद किसी यात्री ने रात में की थी या सवेरे डीजल क ी बदबू के कारण कोई बैठा हुआ व्यक्ति उ ल ट ी



करके खिसक गया होगा। मुंह बाहर करके कंडक्टर ने बाबू से पूछा, 'यहां कोई सफ़ाई वाला तो नहीं दिखाई दे रहा है।'

'नहीं दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। आता ही होगा कहीं से।' सफ़ाई वाले की प्रतीक्षा में बस एक अनिश्चित समय के लिए कैसे रोकी जा सकती थी, पर एक संभ्रांत सवारी को सीट दिए बिना कंडक्टर बस चलवा भी कैसे सकता था? और देर हो जाने के डर से वह घबरा गया था। सभी सवारियों को जल्दी मची हुई थी। पर किसी को कोई निदान नहीं सूझ रहा था।

मेरे पास बैठा किसान यह तो समझ गया कि अब और देर लगेगी, पर उसे यह पता नहीं था कि क्यों देर लगेगी। 'अब चलते क्यों नहीं? क्या अड़चन पड़ गई है।' उसने मुझ से पूछा।

मेरे उत्तर देने से पूर्व कंडक्टर ने उसके पास आकर कहा, 'भाई जी, ज़रा उठना तो यहां से।'

'क्यों क्या बात है? किसान ने उठते हुए पूछा।

'आओ तुम्हें आगे वाली सीट देते हैं।' और वह उसको पकड़ कर आगे ले गया। इशारे से उस सूटेड-बूटेड आदमी को उस किसान वाली सीट पर बैठने के लिए कह दिया। उल्टी वाली सीट के पास जाकर कंडक्टर ने कहा, आ बैठ जा इधर।' फिर उसने प्रसन्नतावश ज़ोर से सीटी बजाई और बस चल पड़ी। 'यह सीट तो गंदी है। मैं नहीं बैठूंगा यहां।' किसान ने शोर मचाया।

'ज़बान बंद रख। अगले अड्डे पर दूसरी सीट दे देंगे।' कंडक्टर ने मीठी चुटकी लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। किसी ने भी कंडक्टर को नहीं टोका। इसके विपरीत सभी ने सुख की सांस ली। बस लेट न होने देने के लिए हम इससे ख़ुश थे। मुश्किल से तो उसे समस्या का समाधान मिल पाया था। ■■

सांसों का रखें ख़ास ख़याल



सेहत

संपादन प्रभाग

इन दिनों महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों में सांस संबंधी तकलीफ़ भी काफ़ी देखी जाती हैं। फिर कोरोना संक्रमण का ख़तरा भी मंडराने लगा है। सरकार ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ऐसे में सांसों के ज़रिये फैलने वाले संक्रमण से बचने के लिए कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। सर्दी के साथ-साथ कोहरे का प्रकोप भी बढ़ गया है। कोहरे में धूल-धुआं मिलकर सेहत के लिए परेशानी की वजह बन जाते हैं।

इस मौसम में बाहर निकलने पर कोहरे और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में परेशानी के कारण लोगों का हाल बेहाल होने लगता है। ख़ासकर जो लोग दमा आदि से ग्रस्त हैं, उनके लिए तो यह मौसम बहुत ही ख़तरनाक है। सामान्य लोगों को भी इस प्रदूषित हवा में सांस लेने से अस्थमा, खांसी और श्वसन तंत्र से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए प्रदूषण की मार से बचने और फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है।

सावधानी बरतें

प्रदूषित हवा में सांस लेने से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का ख़तरा अधिक रहता है। इसकी वजह से फेफड़े और दिल से जुड़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से ब्रोंकाइटिस से लेकर दिल और फेफड़े से जुड़ी कई गंभीर बीमारियां पैदा हो सकती हैं।

इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ हवा आपके शरीर में जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी बाहर निकलें, तो मुंह और नाक को अच्छी तरह ढक कर चलें। अच्छी गुणवत्ता का मास्क ज़रूर पहनें।

धूल-धुएं वाली जगहों पर ज़्यादा देर न रहें। इस मौसम में बहुत सारे लोग ठंड से बचने के लिए घर में या बाहर अलाव जलाते और उसके आसपास देर तक बैठे रहते हैं। अलाव से निकलने वाला धुआं फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है। उससे बचना चाहिए। अगर संभव हो तो बाहर निकलते समय चश्मा भी ज़रूर पहनें, ताकि आंखों में धूल-धुआं मिश्रित कोहरा न जाने पाए।

प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं

सर्दी की मार उन लोगों पर अधिक पड़ती है, जिनका शरीर कमज़ोर होता है। यानी जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उन्हें किसी भी प्रकार का संक्रमण जल्दी होता है। इसलिए प्रदूषित हवा से फैलने वाली बीमारियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त रखा जाए। इसके लिए खानपान में नियमितता और पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है। भोजन में विटामिन-सी की पर्याप्त मात्रा वाले फलों को ज़रूर शामिल करें। आजकल अमरूद और संतरा जैसे फल बहुतायत में उपलब्ध हैं। उनका नियमित सेवन करें। यानी रोज़ कम से कम कोई एक फल खाएं, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा दूध, अंडा, दालें, हरी सब्ज़ियां खाने से प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है।

काढ़े का सेवन

सर्दी में लोगों को गरम चीज़ें पीना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग बार-बार चाय पीते हैं। अगर चाय की जगह दिन में दो से तीन बार भी काढ़े का उपयोग करें, तो इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती और शरीर में पहुंचे विषाणुओं को निष्प्रभावी करने में मदद मिलती है। घर में काढ़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। एक टुकड़ा दालचीनी, तुलसी पत्ता, शहद, अदरक और काली मिर्च उबाल कर काढ़ा बना सकते हैं। यूं आजकल आयुर्वेदिक काढ़े भी बाज़ार में मिलने लगे हैं। चाय की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोंठ और शहद का सेवन भी आपको प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाले नुक़सान से बचा सकता है। इस तरह का काढ़ा गले में जमे धूल-कण और प्रदूषण को साफ़ कर देता है, शरीर को ताक़त देता है।



गुनगुना पानी

यूं तो हर मौसम में गुनगुना पानी पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है, मगर सर्दी के मौसम में तो जहां तक हो सके, ठंडे पानी से बचना चाहिए। गुनगुना पानी थरमस में भर कर रखें और जब भी प्यास लगे पी लिया करें। इससे प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने और सांस से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। गुनगुना पानी पीने से आपके गले को भी आराम मिलेगा और फेफड़ों में मौजूद विषाक्त पदार्थ दूर होंगे। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ़ भी कम होगी।

नियमित व्यायाम

यह केवल सर्दी के मौसम में नहीं, अगर हर मौसम में व्यायाम करते हैं, तो उससे शरीर शिथिल नहीं पड़ेगा, काम करने की ऊर्जा बनी रहेगी और प्रतिरोधक क्षमता बरक़रार रहेगी। इस तरह बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। मगर ख़ासकर सर्दी में व्यायाम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस मौसम में मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, शरीर अलसाया रहता है। इस आलस्य को तोड़ने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अगर सुबह आधे घंटे भी कोई कसरत कर ली जाए तो शरीर में गर्मी पैदा होती है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है।

सर्दी में गर्मी की अपेक्षा कसरत करना आसान भी लगता है। इस तरह व्यायाम से प्रदूषण की मार से बचने और फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इन दिनों जिस तरह बाहर कोहरा छाया रहता है, धूल और धुएं से संक्रमण का ख़तरा बना रहता है, उसमें घर के भीतर ही व्यायाम करने का प्रयास करना चाहिए। घर के भीतर प्राणायाम, ध्यान और दूसरे व्यायाम किए जा सकते हैं। अगर घर में जगह कम है, तो बिस्तर पर ही कई प्रकार के व्यायाम किए जा सकते हैं। ■■



मधुमक्खी पालन

बेरोज़गार हैं तो करें शुरुआत

करियर

संपादन प्रभाग

मधुमक्खी पालन (Apiculture) एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक रूप से बेहद फ़ायदेमंद है। इन दिनों कई युवाओं का रुझान इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। आजकल इम्युनिटी बूस्टर फ़ूड का प्रचलन तेज़ी से बढ़ रहा है। डिमांड के मुक़ाबले सप्लाई की कमी को पूरा करने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जा रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है मधुमक्खी पालन। जो आर्थिक रूप से बेहद फ़ायदेमंद है। इन दिनों कई युवाओं का रुझान गांव की तरफ़ बढ़ रहा है। ऐसे में वे शहर से पलायन कर रोज़गार के नए अवसर की तलाश में हैं। ऐसे युवा मधुमक्खी पालन का कोर्स करने के बाद कम से कम लागत में अपना ख़ुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

मधुमक्खी पालन क्या है? (What is Apiculture)

एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन है। व्यावसायिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालन और मोम के उत्पादन के लिए उसकी देखभाल की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान इसकी तरफ़ बढ़ा है। एपीकल्चर कोर्स करने के बाद मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू किया जा सकता है, जिससे शहद एवं मोम प्राप्त होता है।

मधुमक्खी पालन में करियर

अगर आप बेरोज़गार हैं और इस फील्ड में रुचि है तो आप बहुत कम लागत में मधुमक्खी पालन शुरू करके आसानी से

अच्छी कमाई कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन की ख़ास बात यह है कि इस काम को छोटे खेत के साथ ही घर की छत, मेड़ के किनारे, या फिर तालाब के किनारे आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए कई योजनाओं में सरकारी सहायता भी मिल जाती है।

कैसे सीखें एपीकल्चर?

एपीकल्चर से संबंधित कई तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा अथवा डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं। डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी के लिए साइंस स्ट्रीम से स्नातक होना ज़रूरी है, जबकि कई ऐसे कोर्स हैं जिसके लिए किसी विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं होती। प्रशिक्षण के लिए एक हफ़्ते से लेकर 9 महीने तक का कोर्स उपलब्ध है।

अगर आप इस व्यवसाय में दिलचस्पी रखते हैं तो ट्रेनिंग के बाद एक अच्छे बीकीपर यानी मधुमक्खी पालक बन सकते हैं। कोर्स फ़ीस भी बहुत कम होती है। बीकीपिंग में कई सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। इग्नू (IGNOU) का सर्टिफिकेट इन बीकीपिंग (CIB) कोर्स मधुमक्खी पालन से जुड़े वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी कौशल प्रदान करता है।

कैसे करें मधुमक्खी पालन

इस व्यवसाय के लिए चार तरह की मधुमक्खियां एपिस मेलीफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया इस्तेमाल होती हैं। व्यवसाय की दृष्टि से एपिस मेलीफेरा अधिक शहद उत्पादन करने वाली और स्वभाव की शांत होती हैं। इन्हें डिब्बों में आसानी से पाला जा सकता है। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी अधिक होती है। मधुमक्खी पालन के लिए लकड़ी का बॉक्स, बॉक्स फ्रेम, मुंह पर ढकने के लिए जालीदार कवर, दस्ताने, चाक़ू, शहद, रिमूविंग मशीन, शहद इकट्ठा करने के ड्रम का इंतिज़ाम ज़रूरी है।

प्रमुख कोर्स
(Apiculture Courses)

1. डिप्लोमा इन बीकीपिंग (अवधि: 6 महीने, योग्यता : बायोलॉजी/एग्री/फॉरेस्ट्री में बीएससी)



2. सर्टिफिकेट कोर्स इन बीकीपिंग (अवधि :1 महीने, योग्यता : एसएससी या समकक्ष) 3. रॉक-बी हैंडलिंग (अवधि: 20 दिन, योग्यता : हनी हंटर्स/ट्राइबल) 4. एलिमेंट्री बीकीपिंग (अवधि: 15 दिन, योग्यता : एसएससी या समकक्ष) 5. शॉर्ट टर्म कोर्स बीकीपिंग (अवधि: 5 दिन का हॉबी क्लास) 6. क्वीन बी पालन, पोलीनेशन, बी पैथोलॉजी (अवधि : 5 दिन, योग्यता: बीकीपिंग का ज्ञान) 7. हनी प्रोसेसिंग (अवधि : 5 दिन। कोई योग्यता नहीं) 8. एनालिसिस ऑफ़ हनी (अवधि: 5 दिन, योग्यता: बीएससी इन केमिस्ट्री)

प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान

–भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूसा रोड, नई दिल्ली–केन्द्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामोद्योग आयोग, गणेशखिंड रोड, पुणे (महाराष्ट्र)

–मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, जनमहादेव रोड, खादी ग्रामोद्योग, देहरादून–ल्यूपिन ह्यूपिन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, कृष्णानगर, भरतपुर, राजस्थान

–मधुमक्खी पालन एंड शोध संस्थान कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा–बी. इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़ख़ास, नई दिल्ली

–उद्यान विभाग, कृषि पंत भवन, जयपुर, राजस्थान–राष्ट्रीय बाग़बानी बोर्ड, लालकोठी, जयपुर, राजस्थान

–ज्योति ग्रामोद्योग संस्थान, गंगोह, सहारनपुर,

–मधुमक्खी प्रशिक्षण केंद्र, हल्द्वानी, नैनीताल–नेशनल बी बोर्ड

आमदनी

मधुमक्खी पालन से हर महीने 1 से 5 लाख रुपये की कमाई हो सकती है। इस व्यवसाय से जुड़े सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। हालांकि प्राइवेट कंपनियों में एपीकल्चर की डिग्री के साथ कुछ अनुभवी उम्मीदवारों को पोस्ट के हिसाब से 35 से 55 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं।

■■



यात्रा, असीम जीवन की ओर...

आख़िरी पन्ना



मौलाना
वहीदुद्दीन ख़ां

मृत्यु का आगमन अटल है। कोई इससे बच नहीं सकता। वास्तव में मृत्यु दो प्रकार की होती हैं। एक वह मृत्यु जब कि एक व्यक्ति ईश्वर को पाने का अपना उद्देश्य बनाए हुए हो, वह ईश्वर के लिये बोलता हो और ईश्वर के लिये ही मौन रहता हो, उसका ध्यान परलोक की ओर लगा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति के लिये मृत्यु का अर्थ यह है कि वह अपने पालनहार की ओर यात्रा कर रहा था और मृत्यु के फरिश्ते ने उसकी यात्रा को कम करके उसको उसकी मंज़िल तक पहुंचा दिया।

दूसरा व्यक्ति वह है, जिसने अपने मालिक को भुला दिया। उसका रुकना और चलना ईश्वर के लिये नहीं होता। वह अपने पालनहार को त्याग कर दूसरी ओर दौड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु का दिन उसकी गिरफ़्तारी का दिन है। उसकी मिसाल उस विद्रोही की-सी है, जो कुछ दिनों तक विद्रोह करे, उसके पश्चात उसे बन्दी बनाकर न्यायालय में उपस्थित कर दिया जाए।

ज़ाहिरी तौर से मृत्यु एक ही है, जो दोनों व्यक्तियों को अपने आंचल में ले लेती है, परन्तु दोनों में उतना ही अन्तर है, जितना कि पुष्प और अग्नि में। एक के लिए मृत्यु ईश्वर का अतिथि बनना है तथा दूसरे के लिये मृत्यु ईश्वर के बन्दीगृह में डाला जाना है! एक के लिए मृत्यु स्वर्ग के उपवनों में प्रवेश का द्वार है, तो दूसरे के लिए नरक की अग्नि में डाल दिया जाना है, ताकि वह अपने विद्रोह जैसे अपराध के कारण सदैव जलता रहे।

मोमिन (ईशभक्त) और ग़ैर-मोमिन की पहचान यह है कि मोमिन वह है, जिसकी दृष्टि मृत्यु के बाद की समस्याओं की ओर लगी रहती है, जो मृत्यु के बाद आने वाली दुनिया (मरणोत्तर जीवन) में सम्मान प्राप्त करने

के उद्देश्य से अपना सम्पूर्ण ध्यान केंद्रित किए हुए है। इसके विपरीत ग़ैर-मोमिन (ईश्वर का विद्रोही) वह है, जो जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ है, जो वर्तमान संसार में सम्मान और सफलता प्राप्त करने को महत्वपूर्ण चीज़ समझता है। वर्तमान परिपेक्ष्य एवं सन्दर्भ में ऐसा विदित होता है कि मूल रूप से सफल व्यक्ति वही है, जो वर्तमान संसार में अपनी जड़ें सुदृढ़ किये हुये हो, परन्तु मृत्यु इस झूठ का पूर्णतः अन्त कर देगी और इसके उपरान्त यकायक यह मालूम होगा कि वही व्यक्ति सुदृढ़ आधार पर खड़ा हुआ था, जिसको संसार वालों ने आधारहीन समझ लिया था और सारे लोग आधारहीन थे, जो मृत्यु से पूर्व की परिस्थितियों में प्रतिष्ठा एवं उन्नति की चरम सीमा पर बैठे हुये दिखाई देते थे।

मृत्यु हर वस्तु को झूठा सिद्ध कर देगी और इसके पश्चात उसी वस्तु का अस्तित्व बचेगा, जिसका परलोक के जीवन में कोई मूल्य हो। सच्चाई की पुकार पर ध्यान न देना सदैव इसलिए होता है कि व्यक्ति के सामने मात्र मृत्यु के पूर्व का जीवन होता है। व्यक्ति यदि मृत्यु के बाद का जीवन देख ले तो आज ही वह ईश्वर के सामने झुक जायेगा, जिसके आगे उसे कल झुकना है, जबकि कल का झुकना किसी के कुछ काम न आयेगा।

एक घन्टाघर का किसी चौराहे पर निर्माण कर दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति उसमें समय देखता है और अपनी घड़ियां उससे मिलाता है। किसी भी व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि जिन कारीगरों ने अथवा जिन इन्जीनियरों ने इसे तैयार किया है, वे मुसलमान थे या हिन्दू, अपनी जाति के थे, या किसी अन्य जाति के, या यह कि इसमें जो घड़ी लगाई गयी है, वह कहां की बनी हुई है, अपने देश की है, या किसी अन्य देश की। मात्र इस बात का विश्वास है कि इससे सही समय मालूम किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ईश्वरीय धर्म भी समस्त मानव जाति के मार्गदर्शन के लिये इसी प्रकार का एक घंटाघर है, परन्तु यहां ऐसा नहीं होता कि लोग इसको देखें और उससे अपना मार्गदर्शन प्राप्त करें।

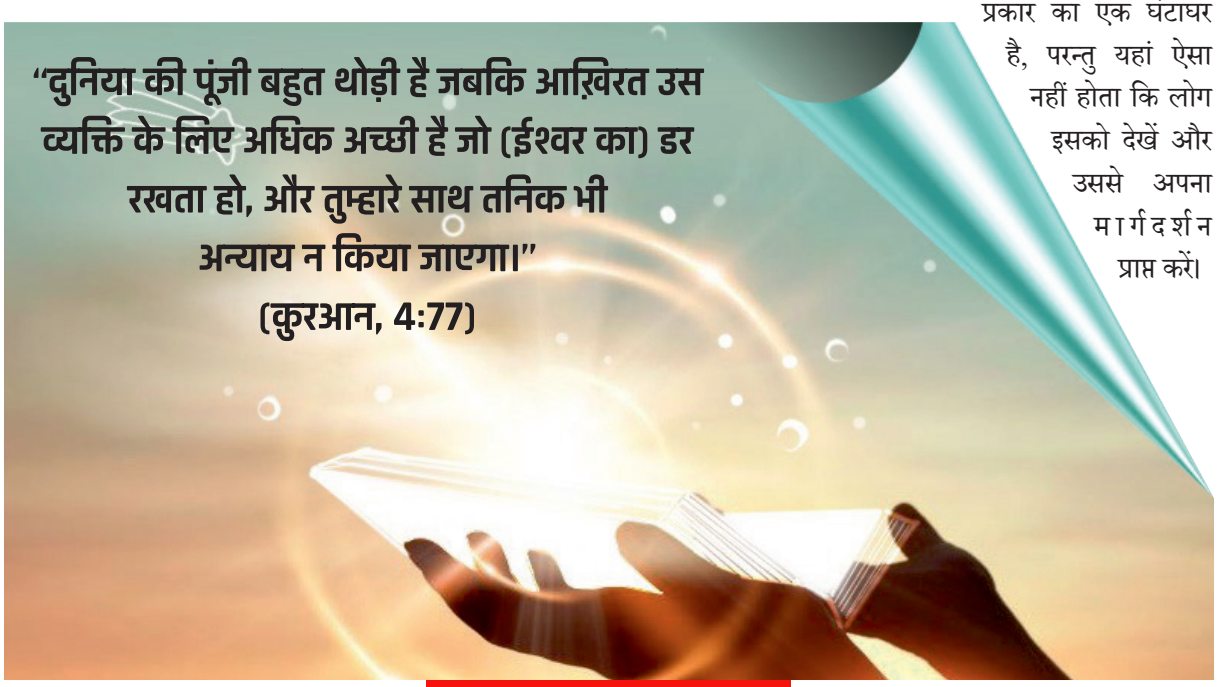

मृत्यु हर वस्तु को झूठा सिद्ध कर देगी और इसके पश्चात उसी वस्तु का अस्तित्व बचेगा, जिसका परलोक के जीवन में कोई मूल्य हो। सच्चाई की पुकार पर ध्यान न देना सदैव इसलिए होता है कि व्यक्ति के सामने मात्र मृत्यु के पूर्व का जीवन होता है।

इसका कारण क्या है? इसका कारण मात्र एक है कि लोग समय मालूम करने के सम्बंध में तो गम्भीर हैं, परन्तु ईश्वर के आदेशों को जानने में गम्भीर नहीं हैं। ईश्वरीय धर्म का सम्बंध मरणोत्तर जीवन से है और घड़ी का सम्बंध वर्तमान जीवन से। लोगों ने जिस वस्तु को अपना उद्देश्य बनाया है, उसके सम्बंध में घड़ी का महत्व एवं आवश्कता उन्हें मालूम है, परन्तु अगले जीवन में सफलता प्राप्त करने का उन्होंने अपना उद्देश्य ही नहीं

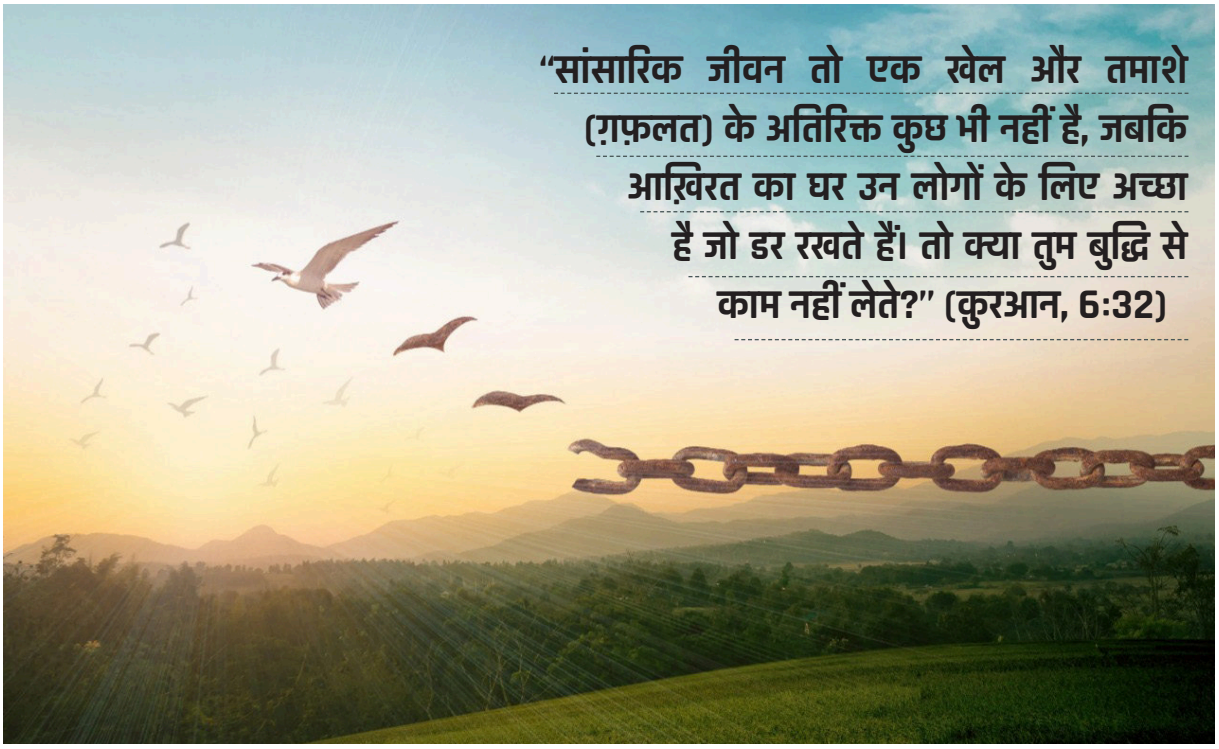

बनाया, फिर उन्हें मार्गदर्शन देने वाली वस्तु की आवश्यकता का एहसास क्यों कर हो।

फिर ईशभक्ति का तक़ाज़ा मात्र यह नहीं है कि उसको स्वीकार किया जाए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसके साथ अपने को सम्मिलित भी किया जाए।

ईशभक्ति अपनी मूल वास्तविकता के अनुसार एक आन्तरिक दशा का नाम है, परन्तु उसी के साथ उसका वाह्य रूप भी है। ईश्वर की प्राप्ति किसी व्यक्ति के लिए तीव्र प्रभावशीलता की सर्वोच्च घटना है और तीव्र प्रभावशीलता कभी भी छुपी नहीं रह सकती। यदि एक व्यक्ति पर ईश्वर की सत्यता प्रकट हो तो वह अवश्य ही प्रकट हो कर रहेगी। ऐसा व्यक्ति बिना अधिकार के चाहेगा कि उसका सम्पूर्ण वातावरण इस बात का साक्षी बन जाए कि वह ईश्वर की पुकार पर उपस्थित हुआ है और उसने स्वार्थ और हित की मूर्तियों को तोड़ कर उसका साथ दिया। यदि कोई व्यक्ति आन्तरिक श्रद्धा (कल्बी ईमान) का दावेदार हो, मगर वह घोषणा एवं ऐलान से बचता हो तो यह निश्चय ही इस बात का प्रमाण है कि वह नीति के बन्धन का शिकार है, और जो लोग ईश्वर की तुलना में नीति को प्राथमिकता दें, वे कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। नीति और पक्षपात ईशभक्ति का विलोम है। नीति एवं पक्षपात के साथ ईशभक्ति का एक आत्मा में इकट्ठा होना सम्भव नहीं है।

■■

बचो अत्याचार से, क्योंकि अत्याचार से क़ियामत के दिन कालिमा छा जाएगी। और लोभ और कृपणता से बचो, क्योंकि लोभ और कृपणता ने तुम से पहले लोगों को विनष्ट किया, उन्होंने इसके कारण रक्तपात किया और हराम को हलाल ठहरा लिया।" (हदीस : मुस्लिम)

with best compliment from

Nuzhat Parveen
(Hyderabad)

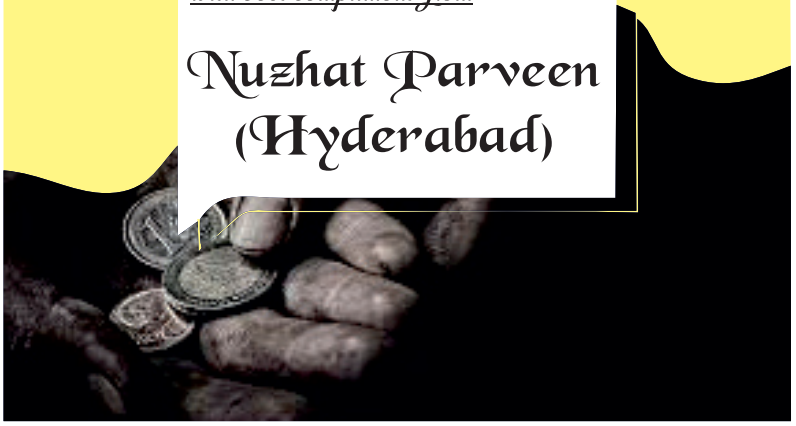

ISO 9001:2008

YOUR LIFE PAVING COMPANY

Hindustan Group
Established Since 1977
Hindustan
Pavers & Blocks

The offered high quality range of Interlock Pavers adds grace to the looks of interiors and exteriors of residential as well as commercial buildings.

Owing to their features like magnificent appearance, excellent finish, impact resistance and accurate cutting, these pavers are highly demanded in the market.

These pavers are processed by our experts using high grade raw materials in conformity with the international parameters.

Product Range

- **SLOT BLAST SERIES**
- **STANDARD** *(PLAIN METAL PRESS SMOOTH FINISH)*
- **RUBBER MOULD SERIES**
- **TILES**
- **CEMENT BLOCKS**
- **OTHER CEMENT PRODUCT**

Manufacturers of Solid Concrete Block, Interlocking Pavers, Concrete (AAC) Blocks, Tiles, Designer Concrete Benches & Allied Concrete Products.

Opp. Colvale Jail, Karaswada,
Mapusa, Goa

+91 982 242 77 00, 772 099 77 00
+91 880 504 77 00, 880 503 77 00

www.hindustangroupgoa.com

hindustansales@gmail.com
hindustanindustries@gmail.com

DIRECTORS

MEHMOOD KHAN **ANWAR KHAN** **AKBAR KHAN**

KANTI Monthly, New Delhi
FEBRUARY 2023
Posted on 20-21 January 2023
Published on 18 January 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔
میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں
(مؤطہ امام مالک:705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com